



वार्षिक प्रतिवेदन

2024-25



उत्तराखण्ड सूचना आयोग





वार्षिक प्रतिवेदन

2024-25



सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग



सूचना का
अधिकार

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	सूचना का अधिकार आंकड़ों में	3
3.	सूचना का अधिकार अधिनियम	7
4.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	15
5.	आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही	25
6.	सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के ग्राफ सहित संख्यात्मक विवरण	29
7.	प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता कार्यक्रम	47
8.	आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों/शिकायतों में आरोपित शास्तियां	53
9.	आयोग को प्राप्त बजट	91



सूचना का
अधिकार

प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष की अनुभूति हो रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रहा है। यह अधिनियम न केवल नागरिकों को शासन में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है, बल्कि पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप भी देता है। उत्तराखण्ड राज्य में पिछले 19 वर्षों में सूचना का अधिकार अधिनियम ने नागरिकों को शासन से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनकर एक नई कार्यसंस्कृति को जन्म दिया है, जिसमें जवाबदेही और पारदर्शिता को सर्वोपरि रखा गया है।

वर्ष 2005 से अब तक उत्तराखण्ड सूचना आयोग ने इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर प्रयास किए हैं। आयोग द्वारा समय-समय पर जन-जागरूकता अभियानों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शिकायतों एवं अपीलों के निष्पादन और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल व सहज बनाने का सतत प्रयास किया गया है। शासन के सहयोग से आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल तथा मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रारंभ की गयी ऑनलाइन द्वितीय अपील/शिकायत प्रेषण एवं हाईब्रिड सुनवायी की व्यवस्था से नागरिकों को सूचना प्राप्ति हेतु सुलभ एवं पारदर्शी मंच प्राप्त हुआ है।

पूर्व की भांति, उत्तराखण्ड सूचना आयोग की यह 19वीं वार्षिक रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) के अंतर्गत तैयार की गई है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम की अनुपालना की स्थिति को दर्शाती है। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी गई है:

1. विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा प्राप्त आर.टी.आई.आवेदनों की संख्या,
2. विभागों के प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या,
3. उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की विस्तृत सांख्यिकीय जानकारी।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अपीलों व शिकायतों के पंजीकरण एवं निस्तारण की यदि बात की जाये तो उससे संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े निम्नवत् रहे —

- **माह अप्रैल 2024 से माह मार्च 2025 तक** की अवधि में आयोग द्वारा **कुल 2028 सुनवायी की गयीं**, जिसमें से **कुल 2208 वादों को निस्तारित किया गया।** (इनमें विगत वर्ष के अवशेष वाद भी सम्मिलित हैं)
- इस अवधि में समय पर सूचना न देने वाले **लोक सूचना अधिकारियों को दण्डित करते हुये 132 प्रकरणों में लगभग 16.31 लाख रुपये की शास्ति/क्षतिपूर्ति** भी आयोग द्वारा आरोपित की गयी।
- **दिनांक 31.03.2025 को आयोग में कुल 1887 प्रकरण सुनवायी हेतु लम्बित थे।**
- विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना अनुरोध पत्रों के सापेक्ष मात्र **11.66 प्रतिशत** अनुरोधकर्ताओं द्वारा **प्रथम अपील** की गयी हैं।
- इसी प्रकार सूचना अनुरोध पत्रों के सापेक्ष आयोग में मात्र लगभग **4 प्रतिशत द्वितीय अपील** ही प्राप्त हुयी हैं।

द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए मैं तत्कालीन एवं अपने सभी वर्तमान सहयोगी राज्य सूचना आयुक्तों का धन्यवाद देती हूँ। आयोग द्वारा अक्टूबर 2024 में प्रथम अंतर्-महाविद्यालयी वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी प्रारंभ किया गया, जिससे युवाओं में सूचना का अधिकार के प्रति जागरूकता और भागीदारी की भावना को बढ़ावा मिला। इस प्रतियोगिता को आयोग द्वारा प्रतिवर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जायेगा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में नामित उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को आयोग द्वारा अधिनियम की वर्षगांठ के अवसर पर सम्मानित भी किया गया। आयोग द्वारा इस पहल को भी वार्षिक रूप से आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

नामित लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को निरन्तर प्रशिक्षित किये जाने के क्रम में आयोग द्वारा माह जनवरी – मार्च 2025 के मध्य वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये गये। इस वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से मैं उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य सचिव एवं सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को आयोग को निरन्तर सहयोग प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद प्रकट करती हूँ। साथ ही, आयोग के समर्पित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मेहनत और योगदान की सराहना करती हूँ, जिनके सहयोग से यह वार्षिक प्रतिवेदन संभव हो पाया है।

मुझे आशा है कि यह वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार, शासन, नीति-निर्माताओं, नागरिक समाज एवं आम नागरिकों के लिए एक उपयोगी दस्तावेज सिद्ध होगा तथा उत्तराखण्ड में सूचना का अधिकार अधिनियम को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राधा रतूड़ी
मुख्य सूचना आयुक्त

सूचना का अधिकार आंकड़ों में वर्ष 2024-25

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या*				56,574
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या				54,315
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या				6,597
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या*				6,241
5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*				
	गृह	विद्यालयी शिक्षा	ग्राम्य विकास	राजस्व	कार्मिक
	11,924	10,567	6,113	5,032	3,019
6	द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19 (3)				
	नये वाद		कुल वाद निस्तारण		
	1675		1780		
7	शिकायत अन्तर्गत धारा 18				
	नये वाद		कुल वाद निस्तारण		
	353		428		
8	आलोच्य वर्ष में आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षतिपूर्तियों की संख्या				132
9	आरोपित शास्तियों की धनराशि (रु.)				16,31,500
10	आरोपित क्षतिपूर्तियों की धनराशि (रु.)				10,000
11	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या				00

* (प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)



सूचना का अधिकार



सूचना का अधिकार अधिनियम



सूचना का
अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा भारत में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया गया है जिसमें किसी भी सरकारी सूचना तक जनसामान्य की पहुंच अत्यन्त सरल रूप में सम्भव हो पाती है। इसके साथ ही, सूचना का अधिकार अधिनियम के कारण ही सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में व्यापक पारदर्शिता तथा जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकी है।

इस अधिनियम को अंगीकृत कर भारत विश्व के उन राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हुआ जहाँ सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है। ऐसे राष्ट्रों में से अधिकांश पाश्चात्य और आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं। भारत उन कुछ विकासशील राष्ट्रों में से एक है जहाँ ऐसा अधिनियम बनाया गया है।

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 लोक सभा में दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विधेयक कतिपय संशोधनों के उपरान्त दिनांक 11 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक दिनांक 12 मई, 2005 को पारित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इस अधिनियम को 15 जून, 2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के दिनांक से 120वें दिन, अर्थात् 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में है।

“लोक प्राधिकारी” की परिभाषा में सभी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतें, तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किसी न किसी रूप में वित्त-पोषित हैं।

सूचना का अधिकार, नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकार सम्पन्न करता है तथा कतिपय अपवादों को छोड़ कर लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का प्राविधान करता है। **नागरिकों को जो सूचना देय है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है।** इस प्रकार यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों

को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सशक्त अधिकार प्रदान करता है ताकि सरकारों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनी रहे।

इतनी अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम को अब विभिन्न सरकारी विभागों (जिनके द्वारा समस्त सूचनायें धारित एवं नियंत्रित की जाती हैं) तथा जनसामान्य (जो प्रजातंत्र के रचयिता तथा लाभार्थी हैं) के बीच में अधिकारों के सन्तुलन को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सूचना का अधिकार कानून क्या है ?

अधिनियम में सूचना का अधिकार की निम्नलिखित प्रस्तावना (Preamble) दी गयी है :

“प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम”.

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत :

- सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्तर्गत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है। यह अधिनियम दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावी है।
- भारत के नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत सूचना मांगने का अधिकार प्राप्त है।
- किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने तथा निर्माण सामग्री के नमूने प्राप्त करने का अधिकार भी यह अधिनियम नागरिकों को प्रदान करता है।
- सूचना प्राप्त करने हेतु दस रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित है जो नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/

पोस्टल ऑर्डर/नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प के माध्यम से जमा किया जा सकता है। गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है, परन्तु ऐसे आवेदकों को अपने सूचना आवेदन के साथ अपने बी.पी.एल. कार्ड की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

- अभिलेखों/पत्रावलियों का निरीक्षण, आवेदन शुल्क देने के बाद एक घण्टा निःशुल्क किया जा सकता है। इसके उपरान्त प्रत्येक 60 मिनट या उसके किसी भाग के लिए पांच रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना होगा।
- अभिलेख की ए-3 या ए-4 आकार की छायाप्रति हेतु दो रुपया प्रति पृष्ठ फीस निर्धारित है, इससे बड़े आकार के अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु वास्तविक लागत देनी होगी. सी.डी./डी.वी.डी. में सूचना प्राप्त करने के लिए बीस रुपये का शुल्क देय है।
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आवेदक को स्वयं अथवा उसके परिवार से सम्बन्धित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इससे भिन्न सूचना के लिए 50 पृष्ठों अथवा रु. 100 की सूचना निःशुल्क दी जायेगी, तथा इससे अधिक सूचना नियत शुल्क का भुगतान करने के उपरान्त प्रदान की जाती है।
- वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा विलम्बतम तीस दिन के अन्दर उपलब्ध करायी जानी होती है।
- निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध न होने पर या गलत अथवा भ्रामक व अधूरी सूचना देने पर उसकी अपील विभाग के अपीलीय अधिकारी को अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत की जाती है।
- विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील का निस्तारण तीस दिन के भीतर करना होता है।
- विभागीय अपीलीय अधिकारी के निर्णय से क्षुब्ध होने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत 90 दिन की समयावधि के भीतर की जा सकती है।
- यदि किसी नागरिक को सूचना पाने में कोई कठिनाई होती है अथवा किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी से अपूर्ण, असत्य अथवा भ्रामक सूचना प्राप्त होती है, तो वह अधिनियम की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग में शिकायत भी दर्ज कर सकता है, आयोग ऐसे प्रकरणों की आवश्यकतानुसार जांच भी करा सकता है।

लोक प्राधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (परिभाषायें) के अन्तर्गत अधिनियम में 'लोक प्राधिकारी' से (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन; (ख) संसद द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है; और इसके अन्तर्गत (i) कोई ऐसा निकाय जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है; (ii) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है, सम्मिलित है।

उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी 29 जुलाई 2005 के शासनादेश द्वारा

- (i) सचिवालय में शासन के समस्त विभागों,
- (ii) समस्त निदेशालयों,
- (iii) समस्त मुख्यालयों,
- (iv) मण्डल स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (v) जनपद स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (vi) सब डिविजन स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (vii) विकास खण्ड स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (viii) सभी सार्वजनिक निगमों, परिषदों, प्राधिकरणों, संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा अन्य निकायों,
- (ix) शहरी क्षेत्रों की समस्त नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर निगम,
- (x) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों, तथा
- (xi) ऐसी सभी गैर सरकारी संस्थाओं को, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्त पोषित हैं, लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है (शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29/07/05)।

इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय भी लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित होते हैं।

शासनादेश संख्या 177/XXII/2005; 29/07/05 को उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 के साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होगा कि सभी प्रमुख सचिव या सचिव, जिस विभाग / जिन विभागों के वे प्रशासनिक मुखिया हैं, वे इन लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी हैं। उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 तथा शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2005 के अनुसार विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने प्रशासनिक विभाग के अन्तर्गत सभी लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित कर उनसे अपेक्षा करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व हैं, उनका अनुपालन करें। लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने में किये गये विलम्ब से सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

ऐसी गैर सरकारी संस्थाएँ, जिन्हें लोक प्राधिकारी के रूप में चिन्हित किया गया है, वे भी लोक सूचना अधिकारी,

सूचना का अधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण 'स्टेक होल्डर' वे विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष भी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से बतौर लोक प्राधिकारी चिन्हित किया गया है तथा जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी माना गया है।

लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी

प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन किया जायेगा। यह लोक सूचना अधिकारी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के समस्त प्रशासनिक इकाईयों तथा कार्यालयों के लिए अलग-अलग नामित किये जाने हैं। लोक सूचना अधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जिसे लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की संख्या तथा उन्हें किस स्तर तक नामित किया जाये, इसका निर्धारण करते समय जन सामान्य की सुविधा का भी ध्यान रखा जायेगा।

- (i) जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो,
- (ii) जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अभिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया हो, या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो,
- (iii) जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान-मण्डल का विशेषाधिकार भंग होता हो,
- (iv) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक सम्पदा से सम्बन्धित सूचना, अथवा किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता हो,
- (v) जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो सके या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करे,
- (vi) जिसके प्रकटन से अपराधियों के पकड़े जाने, अपराध की विवेचना या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी,
- (vii) मंत्रिमंडल के कागजपत्र जिसके प्रकटन से मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श में अड़चन पड़ेगी,
- (viii) ऐसी सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं है या जिसके प्रकटन से किसी व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण हो।

उपरोक्त में से (iv), (v) एवं (viii) से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी सूचनाओं का प्रकटन व्यापक लोक हित में है, तब ऐसी सूचनाओं को भी आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किये गये थे, को विनिश्चय किये जाने तथा विषय के पूरा या समाप्त होने के बाद आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध कराये जायेंगे।

धारा 18

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा ऐसे प्रकरणों में जनसामान्य से प्राप्त

शिकायतें प्राप्त कर उनकी जांच की जा सकती है जहां किसी भी नागरिक को

- सूचना देने से इंकार किया गया हो,
- मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध करायी गयी हो,
- अनुचित फीस की मांग की गयी हो,
- अभिलेख उपलब्ध न कराये गये हों, अथवा
- समय से सूचना उपलब्ध न करायी गयी हो।

आयोग द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध ऐसी प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में की जा सकती है। ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समन प्रेषित करने, शपथ पत्र पर लिखित/मौखिक साक्ष्य लेने आदि जैसी सिविल न्यायालय की शक्तियां भी प्रदान की गयी हैं।

धारा 19

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत आवेदकों को विभागीय स्तर पर प्रथम अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसका प्रयोग उनके द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने/सूचना न प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में किया जाता है। प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवाई ऐसे नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के हों। प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों का 30 दिन की समयावधि के भीतर निस्तारण करना होता है। प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय लिखित में जारी करने में यदि निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगता है तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित करना चाहिए तथा यह अतिरिक्त अवधि निर्धारित 30 दिन की अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवायी व निस्तारण न होने, अथवा प्रथम अपील के निस्तारण से क्षुब्ध होने की स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा आयोग में अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील की जा सकती है। इस द्वितीय अपील में अपीलकर्ता को अपने सूचना अनुरोध पत्र, लोक सूचना

अधिकारी से प्राप्त सूचना (यदि दी गयी हो), प्रेषित प्रथम अपील तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा किये गये निस्तारण (यदि किया गया हो) की स्वःप्रमाणित प्रतियां लगायी जानी आवश्यक हैं। द्वितीय अपील को आयोग में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होता है।

अथवा लोक प्राधिकारी पर अधिरोपित क्षतिपूर्ति द्वितीय अपील अथवा शिकायत, यथास्थिति, में पारित आयोग के आदेश के

धारा 20 (शास्ति)

- (1) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिये अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।
- (2) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिये कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिये अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहाँ वह ऐसे लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिये सिफारिश करेगा।

आयोग द्वारा अधिरोपित शास्ति तथा क्षतिपूर्ति की वसूली

(उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित सूचना का अधिकार नियमावली, 2013 में दी गयी व्यवस्था):

11—(क) लोक सूचना अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति



उत्तराखण्ड सूचना आयोग



सूचना का
अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थाएँ

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार गजट में अधिसूचना जारी करके एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा यथा आवश्यक अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी। इस समिति के अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होंगे तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे।
- अधिनियम की धारा 15(5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त वही व्यक्ति नियुक्त किये जा सकेंगे जो सार्वजनिक जीवन में जानेमाने व्यक्ति हों तथा उन्हें कानून, विज्ञान व टेक्नॉलाजी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान व अनुभव हो। इन्हें न तो सांसद होना चाहिए और न ही किसी राज्य की विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिये। उन्हें किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी भी नहीं होना चाहिये। इन्हें किसी व्यापार या व्यवसाय में भी नहीं लिप्त होना चाहिये।
- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों को महामहिम श्री राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी।
- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त श्री राज्यपाल को सम्बोधित इस्तीफा देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं।
- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें व भत्ते सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अनुसार होंगे।
- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्य करने के लिये आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

- उत्तराखण्ड सूचना आयोग का कार्यालय सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून से संचालित हो रहा है।

आयोग की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शास्तियाँ

शिकायतों पर कार्यवाही

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन आयोग किसी भी नागरिक को सूचना न मिलने, मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने, अनुचित फीस मांगने, अभिलेख उपलब्ध न कराने अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में कर सकता है। ऐसी जांचों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं :
- किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, और उन्हें उपस्थित कराना, शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना।
 - दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना।
 - किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मांगना।
 - साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना।
 - कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

आयोग स्तर पर द्वितीय अपील का निस्तारण

लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है, को विनिश्चय के 30 दिन के भीतर की जा सकती है। प्रथम अपील के विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के

भीतर की जा सकेगी। द्वितीय अपील में अपने विनिश्चय के सम्बन्ध में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :

- लोक प्राधिकारियों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।
- सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है।
- लोक प्राधिकारियों में यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना।
- लोक प्राधिकारी के यहां अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनिष्ठीकरण से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना।
- अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना।
- लोक प्राधिकारी से शिकायकर्ता को, उसके द्वारा वहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना।
- अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना।

द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

शास्ति एवं विभागीय कार्यवाही

अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत आयोग यदि किसी शिकायत या अपील के विनिश्चय करते समय पाता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। परन्तु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन आयोग ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध विभागीय

सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 25 में सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में लोक प्राधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अधिकार प्रदान किये गये हैं। इनमें मुख्यतः

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचनाओं को एकत्रित कराना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है।
- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को आयोग को देने तथा अभिलेख रखने से सम्बन्धित अपेक्षाओं का पालन करेगा।
- सूचना आयोग ऐसे सुधार के लिए सिफारिशें राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं।
- यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हैं तो वह लोक प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो ऐसी अनुरूपता बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधान के क्रम में प्रत्येक वर्ष अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट / प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित की जाती हैं। अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर रखा जाता है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा अपने – अपने लोक प्राधिकारियों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 25(2) के क्रम में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होता है।

पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त

क.सं.	नाम	कार्यकाल		अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1	डा. आर. एस. टोलिया	18.10.2005	17.10.2010	252/XXII/2005-1(20)2005 03.10.2005
2	श्री एन. एस. नपलच्याल	19.10.2010	01.04.2015	933/XXX/13(G)/2009-52(5)207 19.10.2010
3	श्री शत्रुघ्न सिंह	19.11.2016	18.05.2021	1342(i)/XXXI/15(G)-02/2016 08.11.2016
4	श्री अनिल चन्द्र पुनेठा	19.01.2022	09.05.2024	996/XXXI/15(G)-21/-02 31.12.2021

पूर्व राज्य सूचना आयुक्त

क.सं.	नाम	कार्यकाल		अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1	श्री विनोद नौटियाल	16.12.2009	15.12.2014	780/XXX/13(G)2009 11.11.2009
2	श्री प्रभात डबराल	19.10.2010	18.10.2015	935/XXX/13(G)/2009-52(5)207 19.10.2010
3	श्री अनिल कुमार शर्मा	19.10.2010	18.10.2015	934/XXX/13(G)/2009-52(5)207 19.10.2010
4	श्री राजेन्द्र कोटियाल	13.05.2013	12.05.2018	1594/XXXI/13(G)/2013-41/2013 10.05.2013
5	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत	17.01.2014	07.06.2018	81/XXXI/13/(G)/15-2/ 01.04.2015
6	श्री जे. पी. ममगाई	03.08.2017	18.10.2021	635/XXXI/(15)G-09/2015-18 01.08.2018
7	श्री चन्द्र सिंह नपलच्याल	03.08.2017	17.04.2022	640/XXXI/(15)G-09/2015-18 01.08.2018
8	श्री अर्जुन सिंह	22.04.2022	14.04.2024	457/XXXI/(15)G22/-02/ 11.04.2022
9	श्री विवेक शर्मा	05.01.2022	04.01.2025	996/XXXI/15(G)-21/-02 31.12.2021
10	श्री विपिन चन्द्रा	03.03.2022	02.03.2025	996/XXXI/15(G)-21/-02 31.12.2021

जलसंधारण विभाग
 जलसंधारण महाविभाग, दिल्ली
 पत्रांक- /जलसंधारण/5/21-80(पत्रांक-)/2018
 दिनांक 6 नवंबर, 2018

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की प्रकारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं के अन्तर्गत की जानकारी, बीकानेर राज्य रेलवे की राज्य मूल्य सूचना अनुसार से यह न जारी किया जायेगा।

3- यह निष्पत्ति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (b) से अतीत सीमा की रफ्तार से कार्यरत रहने की स्थिति में प्रयुक्त होगी।

3- यह नियुक्ति अनन्यतः अधिविवरण की धारा 46 की उपधारा (1) एवं कार्यवाही, लोक शिक्षण और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार की पत्राचार विधि अधिनियम दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 से प्रस्ताव-12 से अनुसूचित क्षेत्रों में पत्राचार विभाग कार्यवाही प्रमाण करने की दिधि से 60 वर्ष की आयु के लिए या पत्राचार वर्ष की आयु प्रमाण करने तक, इनमें से जो भी पूर्वोक्त हो, के लिए होगी।

4- राज्य पुनर्गठन अधिनियम को संशोधित करना और नती र्णों के साथ ही अन्य निर्दिष्टन और नती निर्दिष्टन, लोक निर्माण और पंचायत राज, भारत सरकार की तथा संशोधित अधिनियम दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 को जारी होगी।

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Abstract

पृष्ठ-51 | <https://www.cbse.gov.in/> / 2019-2020

attitude. Psychologists are expected to answer questions like these:

- [illegible]

(सिनेट क्लब क्लब)
सिनेट

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- /XXXI(5)G/24-25(सं-सू-आ-4)/2018
देहरादून, दिनांक-05 अप्रैल, 2025

अभिवृत्तियाँ

सूचना सं. अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 16 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त अभिवृत्तियों के अधीन श्री राजेशभाई, श्री देवेन्द्र कुमार आर्य, श्री राजेश गुप्ता आशुतोष के पर पर सर्वे विद्युत करती हैं।

2- यह विद्युतिक अभिवृत्ति धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन श्री देवेन्द्र कुमार आर्य द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3- यह विद्युतिक एनरोल अभिवृत्ति धारा 16 की उपधारा (1) एवं कार्मिक, लोक शिक्षण और पेशा मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अभिवृत्तियाँ दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के प्रसार-12 के अनुसार श्री देवेन्द्र कुमार आर्य द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 60 वर्ष की अवधि के लिए या पैंतास वर्ष की अनुप्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वोक्त हो, के लिए होगी।

4- राज्य सूचना आयोग की संदेश पेशा और पत्र एवं सेवा के अन्य निवेदन और सभी कार्मिक, लोक शिक्षण और पेशा मंत्रालय, भारत सरकार की यथा संशोधित अभिवृत्तियाँ दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के अधीन होगी।

श्री राजभाई की आज्ञा से

(विनीत कुमार गुप्ता)
सचिव

संख्या-521/XXXI(5)G/24-25(सं-सू-आ-4)/2018 परदिनांक

अतिरिक्त निम्नलिखित को सूचनाओं एवं आगराओं कावेवही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राजभाई, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, सा. मुख्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, विभाग सच, देहरादून।
4. एडमिनिस्ट्रेशन, सा. राज्य मंत्रालय, उत्तराखण्ड, नयीदिल।
5. एडमिनिस्ट्रेशन, सेवा एवं हकदार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, कार्मिक एवं अधीक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. आशुतोष, राजभाई एवं गुप्ताई मंडल।
9. सचिव, शिक्षणविभाग, उत्तराखण्ड।
10. एडमिनिस्ट्रेशन, सूचना एवं लोक सभाई निदेशालय, देहरादून।
11. श्री देवेन्द्र कुमार आर्य, पता- राजभाई भवन, निकट गाँधी आश्रम, राजभाई आश्रम, राजभाई, नयीदिल।
12. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लखनपुर, गिरा रोड, देहरादून।
13. एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
14. एडमिनिस्ट्रेशन, राजभाई मुख्यालय, राजभाई की इस अनुमति के साथ प्रेषित कि सूचना अभिवृत्तियों को राजभाईय सचिव अख्यताओं के विद्युती अधिनियम धारा-4, धारा-5 के तहत से प्रकाशित कर 200 अभिवृत्तियों को प्रकाशित करने का कार्य करे।
15. सचिवालय के सचिव अनुप्राप्त।
16. कार्य प्रारंभ।

(विनीत कुमार गुप्ता)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- /XXI(15)42/25-82(सं.सू.आ.) / 2019
देहरादून, दिनांक 05 अक्टूबर, 2019

अधिसूचना

सूचना का अधिनियम अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन श्री राज्यपाल, श्री सुशिला नंद को राज्य सूचना आयोग के पद पर सहमति नियुक्त करने हैं।

2- यह नियुक्ति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (b) के अधीन श्री सुशिला नंद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

3- यह नियुक्ति उपरोक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) एवं कर्तव्य, लोक शिक्षागत और पैशन मंत्रालय, भारत सरकार की तथा संश्लेषित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के प्रसार-12 के अनुसार श्री सुशिला नंद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या पैसले वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वान हो, के लिए होगी।

4- राज्य सूचना आयोग को संघीय वेतन और भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्देशन और सर्वे कर्तव्य, लोक शिक्षागत और पैशन मंत्रालय, भारत सरकार की तथा संश्लेषित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के अधीन होगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से

(विनोद कुमार शुक्ल)
सचिव

संख्या-575/XXI(15)42/25-82(सं.सू.आ.) / 2019, संश्लेषित।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, शिक्षण तथा, देहरादून।
4. महाविभागाध्यक्ष, मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, कैथीवाल।
5. महासंचालक, सेवा एवं हकदार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, कर्तव्य एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. संपन्न प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. आयुक्त, नगरपाल एवं कुमायूँ नगर।
9. संपन्न जिल्लाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. महाविदेशीय, सूचना एवं लोक सचिव निदेशालय, देहरादून।
11. श्री सुशिला नंद, पता- शिक्षण विभाग, न्यू मीडियाल्ला रोड, किराही, देवीदेवी की घाट, कैथीवाल, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लाहौर, गिर रोड, देहरादून।
13. सहायक अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
14. उच्च निर्देशक, राजकीय मुद्राप्रदाय, राजकीय को इस अनुसूची के राज्य प्रेषित कि सूचना अधिनियम को राजकीय माला अलकायन के विभागीय परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में विधि से प्रकाशित कर 200 प्रतिभों प्रकाशन की व्यवस्था करने का कार्य करें।
15. सचिवालय के पत्राला अनुभाग।
16. फाई फाईल।

(विनोद कुमार शुक्ल)
सचिव

उत्पादन एवं वित्त विभाग
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- /XXXI(PG/25-03(संयुक्त/आन)/2018
देहरादून दिनांक 24 मार्च, 2025

अभिलेख

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिक्रिया के अन्तर्गत श्री राज्यपाल श्री राष्ट्रीय सिंह चौहान को राज्य सूचना आयोग के पत्र पर तारीख

2- यह प्रतिक्रिया अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत श्री राष्ट्रीय सिंह चौहान द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ करने की दिवि से अगामी होगी।

3- यह प्रतिक्रिया उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) एवं कार्यात्मक, लोक शिक्षा और पंचायत समितियों, भारत सरकार की कक्षा संश्लेषित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 के प्रसार-13 के अनुसार श्री राष्ट्रीय सिंह चौहान द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ करने की दिवि से 60 वर्ष की अवधि को लिए या पंचायत वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतः हो, के लिए होगी।

4- राज्य सूचना आयोग को संवेदन और चर्चा एवं सेवा के अन्य निर्धारण और हार्दिक कार्यात्मक, लोक शिक्षा और पंचायत समितियों, भारत सरकार की कक्षा संश्लेषित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 के अन्तर्गत होगी।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्देश सूचना सूचना)
सचिव

संख्या-457 /XXXI(PG/25-03(संयुक्त/आन)/2018 तदतिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा- मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, शिक्षण सेवा, देहरादून।
4. महाविद्यालय, मा- राज्य म्यादालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
5. महाविद्यालय, लेखा एवं हकदार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, कार्यात्मक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. भारत सरकार मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/निर्देश प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. आयुक्त, मद्रास एवं कुमाय मद्रास।
9. राज्य शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. प्रादेशिक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. श्री राष्ट्रीय सिंह चौहान, पत्र-1448, इंदिरा नगर कोलोनी (सिडबीआईडी अधिन के पीछे), कोयटार, देहरादून, उत्तराखण्ड।
12. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, लखनपुर, गिर रोड, देहरादून।
13. राज्य अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
14. अन्य निर्देशक, राजकीय सुदृष्टालय, कक्षा के इस अनुसूची के तहत प्रेषित कि सूचना अधिसूचना के राजकीय मद्रास असाधारण के विभागीय प्रेषित मा-4, खण्ड-क में दिवि में संश्लेषित का 200 प्रतिशत शासन को उपलब्ध अगामी का कर्म करी।
15. सचिवालय के शासन अनुभाग।
16. माई कार्ड।

(निर्देश सूचना सूचना)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या- /XXXI(15)/G/22-02(उत्तराखण्ड)/2018
देहरादून दिनांक: 25, नवम्बर, 2022
अधिसूचना

सूचना का अधिष्ठान अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्राप्त अधिसूचना को अधीन की राज्यपाल, श्री योगेश चट्ट, निवासी-112, बैंक कालोनी, अजयपुर कला, देहरादून को राज्य सूचना अधिसूचना के तहत पर सार्वजनिक सूचना करने हैं।

2- यह निम्नलिखित अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन की योगेश चट्ट द्वारा जारी किया जाने की दिधि से प्रभावी होगी।

3- यह निम्नलिखित अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) एवं कार्यात्म, लोक शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार की द्वारा संबंधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 के अधिसूचना की योगेश चट्ट द्वारा जारी किया जाने की दिधि से 03 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 03 वर्ष की अवधि के बाद करने तक, इनके से जो भी पूर्णतया हो, के लिए होगी।

4- राज्य सूचना अधिसूचना को संशोधन और भले एवं सेवा के अन्य निर्देशन और सार्वजनिक, लोक शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार की द्वारा संबंधित अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 के अधीन होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुनेश चरणम चण्डी)
 सचिव (प्रशासन)

संख्या- /XXXI(15)/G/22-02(उत्तराखण्ड)/2018 अधिसूचना

अधिसूचना निम्नलिखित की सूचनाएं एवं आचार्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, शिक्षण सेवा, शिक्षण सेवा मंत्रालय, देहरादून।
4. सचिव, लोक शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. सचिव, लोक शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. सचिव, लोक शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. सचिव, लोक शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. सचिव, लोक शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9. सचिव, लोक शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. सचिव, लोक शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. श्री योगेश चट्ट, निवासी-112, बैंक कालोनी, अजयपुर कला, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, शाहपुर, गीत रोड, देहरादून।
13. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
14. अन्य निर्देशक, राजकीय मुख्यालय, कड़ाही जो इस अधिसूचना के तहत प्रेषित कि सूचना इस अधिसूचना की राजकीय मुख्यालय के शिक्षण अधिसूचना भाग-4, खण्ड-4 में आती दिधि में प्रकाशित कर 200 अधिसूचना को प्रकाशित करने का कार्य करें।
15. सचिव, लोक शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
16. निर्देशक, राष्ट्रीय सूचना सेवा, सचिव, लोक शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
17. सचिव, लोक शिक्षण और विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(सुनेश चरणम चण्डी)
 सचिव (प्रशासन)

**आयोग की संस्तुतियों
पर राज्य सरकार द्वारा
की गयी कार्यवाही**



सूचना का
अधिकार

आयोग की संस्तुतियाँ

इस वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा निम्नलिखित 01 संस्तुति राज्य सरकार के विचारार्थ प्रेषित की जा रही है:

संस्तुति : 1

रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 990/2021 किशन चन्द्र जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य के आदेश दिनांक 17.08.2023 में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग और समस्त राज्य सूचना आयोगों को आदेशित किया गया है कि समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का अनुपालन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर

जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं, की मॉनीटरिंग करेंगे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार ने समस्त लोक प्राधिकारियों के द्वारा तैयार मैनुअल का प्रतिवर्ष तृतीय पक्ष ऑडिट कराये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2023 के अनुपालन में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 04 के तहत लोक प्राधिकारियों के द्वारा तैयार मैनुअल का तृतीय पक्ष से ऑडिट कराये जाने हेतु डॉ0 आर0एस0 टोलिया प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल अथवा किसी अन्य राजकीय प्रशिक्षण संस्थान को नामित किये जाने की संस्तुति आयोग द्वारा की जाती है।

वर्ष	संस्तुतियों की संख्या	कृत कार्यवाही
2005 — 06	03	03
2006 — 07	20	12
2007 — 08	08	04
2008 — 09	09	04
2009 — 10	04	04
2010 — 11	05	05
2011 — 12	03	02
2012 — 13	03	02
2013 — 14	05	02
2014 — 15	05	05
2015 — 16	13	13
2016 — 17 एवं 2017 — 18	02	02
2018 — 19 एवं 2019 — 20	02	—
2020 — 21 एवं 2021 — 22	01	01
2022 — 23	05	04
2023—24	01	—



सूचना का
अधिकार

**सूचना आवेदन पत्रों,
द्वितीय अपीलों एवं
शिकायतों का
संख्यात्मक विवरण**



सूचना का
अधिकार

सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण

विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर से आयोग को मासिक प्रगति विवरणों तथा आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के संख्यात्मक विवरण को निम्नलिखित ग्राफ / संख्यात्मक विवरण के माध्यम से इस अध्याय में प्रदर्शित किया गया है :

- 4.1 लोक प्राधिकारीवार / विभागवार प्रगति विवरण
- 4.2 लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (2024-25)
- 4.3 विगत 20 वर्षों में लोक प्राधिकारियों को प्राप्त एवं उनके द्वारा निस्तारित सूचना आवेदन पत्र
- 4.4 विगत 20 वर्षों में लोक प्राधिकारियों को प्राप्त एवं उनके द्वारा निस्तारित प्रथम अपील
- 4.5 विगत 20 वर्षों में आयोग में प्राप्त, निस्तारित एवं अवशेष द्वितीय अपील
- 4.6 विगत 20 वर्षों में आयोग में प्राप्त, निस्तारित एवं अवशेष शिकायतें
- 4.7 लोक प्राधिकारीवार आयोग में पंजीकृत द्वितीय अपीलों की संख्या (2024-25)
- 4.8 लोक प्राधिकारीवार आयोग में पंजीकृत द्वितीय अपीलों की संख्या (2024-25)
- 4.9 जनपदवार पंजीकृत द्वितीय अपीलों की संख्या (प्रतिशत में) (2024-25)
- 4.10 पंजीकृत द्वितीय अपीलों में महिला-पुरुष का अनुपात (2024-25)
- 4.11 पंजीकृत द्वितीय अपीलों का ग्रामीण-शहरी क्षेत्र का अनुपात (2024-25)
- 4.12 लोक प्राधिकारीवार आयोग में पंजीकृत शिकायतों की संख्या (2024-25)
- 4.13 जनपदवार पंजीकृत शिकायतें (प्रतिशत में) (2024-25)
- 4.14 पंजीकृत शिकायतों में महिला-पुरुष अनुपात (2024-25)
- 4.15 पंजीकृत शिकायतों का ग्रामीण - शहरी क्षेत्र अनुपात (2024-25)

लोक प्राधिकारी / विभागवार प्रगति विवरण

वर्ष : 2024 – 25

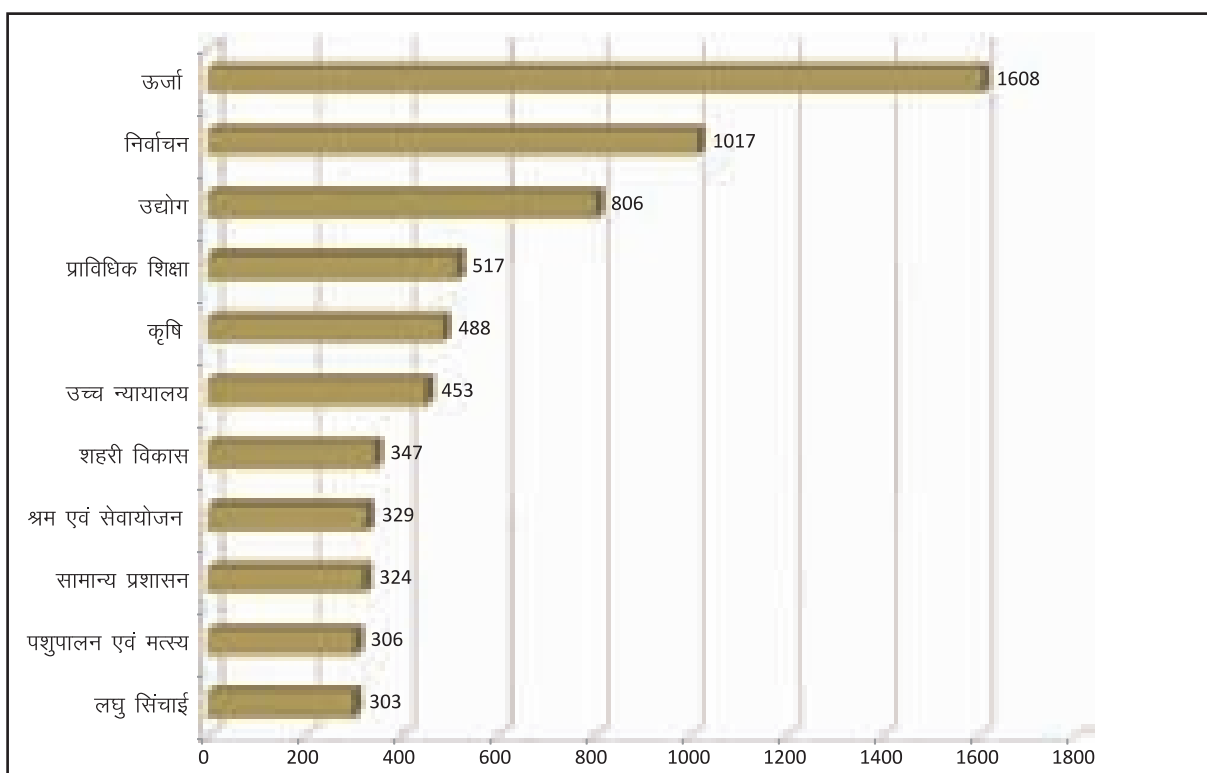
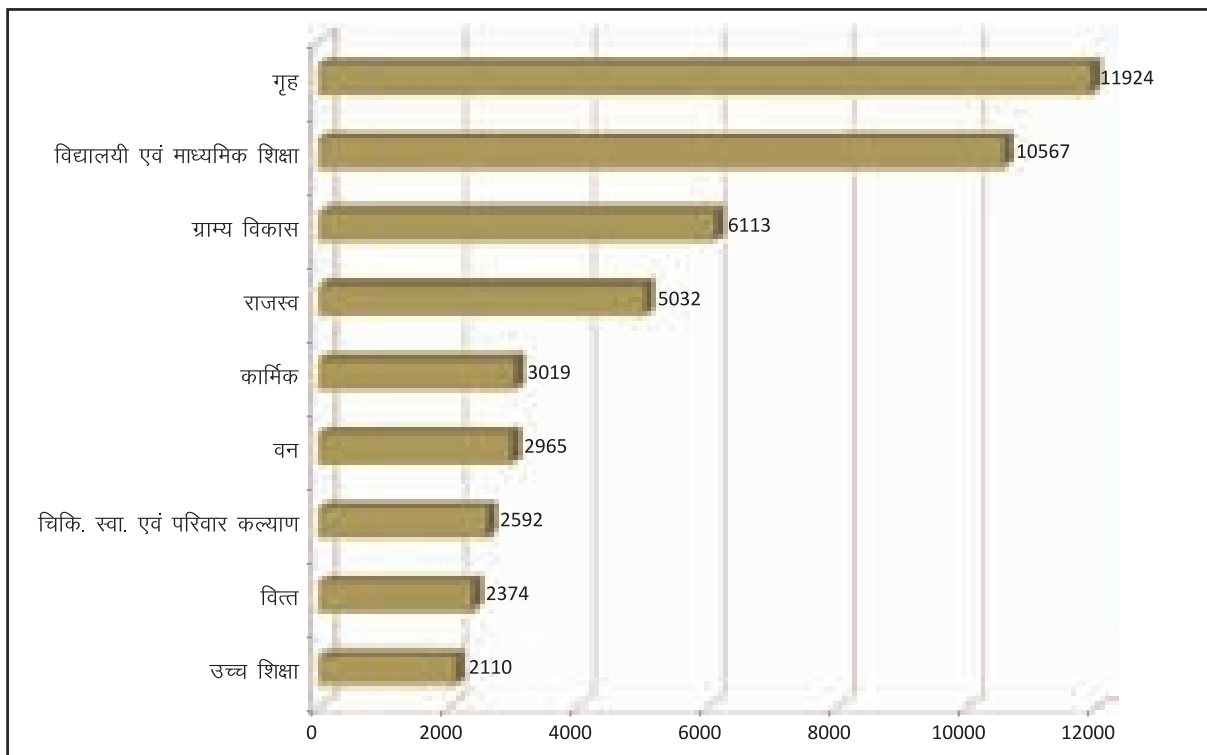
क्र.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र				प्रथम अपील		प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें													
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत अपीलों की कुल संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या		निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या	धारा 8 (1)												
										(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	धारा 9	धारा 11	धारा 24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	कृषि	488	476	2	55	55	0	13164														
2	पशुपालन एवं मत्स्य	306	227	2	33	20	1	9363														
3	मुख्यमंत्री कार्यालय	163	163	0	8	8	0	1808														
4	नागरिक उड्डयन	16	16	0	3	3	0	280														
5	गोपन	23	23	0	2	2	0	490														
6	सहकारिता	127	127	0	18	18	0	1480														
7	संस्कृति एवं अभिलेखागार	50	50	0	20	20	0	300														
8	डेयरी विकास	165	151	0	17	18	0	5530														
9	आपदा प्रबंधन	12	12	0	5	5	0	740														
10	पेयजल	164	164	0	11	11	0	7268														
11	उच्च शिक्षा	2110	1994	0	143	129	1	164515														
12	विद्यालयी एवं माध्यमिक शिक्षा	10567	9903	310	870	662	107	175189														
13	प्राविधिक शिक्षा	517	430	23	58	35	1	15266														
14	निर्वाचन	1017	980	17	23	18	0	25709														
15	ऊर्जा	1608	1608	3	234	232	0	24469														
16	राज्य सम्पत्ति	4	4	0	1	1	0	80														
17	सैनिक कल्याण	16	16	0	4	4	0	560														
18	आबकारी	162	162	0	16	16	0	8934														
19	वित्त	2374	2368	36	173	163	36	44972														
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	237	237	2	35	35	2	2266												1		
21	वन	2965	2754	11	367	341	5	58986	25	6					14	5						
22	सामान्य प्रशासन	324	295	19	48	48	0	7630														
23	चिकि. स्वा. एवं परिवार कल्याण	2592	2589	45	305	301	7	30821														
24	गृह	11924	11828	48	890	884	10	117566	1						47	12	12	0	0	5	26	
25	उद्यान खाद्य प्रस. एवं रेशम	134	115	2	8	9	0	2895														
26	आवास	43	43	0	4	4	0	2093														
27	उद्योग	806	789	1	110	103	2	6858			2	1						1			3	
28	सूचना प्रौद्योगिकी	63	63	0	10	10	0	1820														

लोक प्राधिकारी / विभागवार प्रगति विवरण

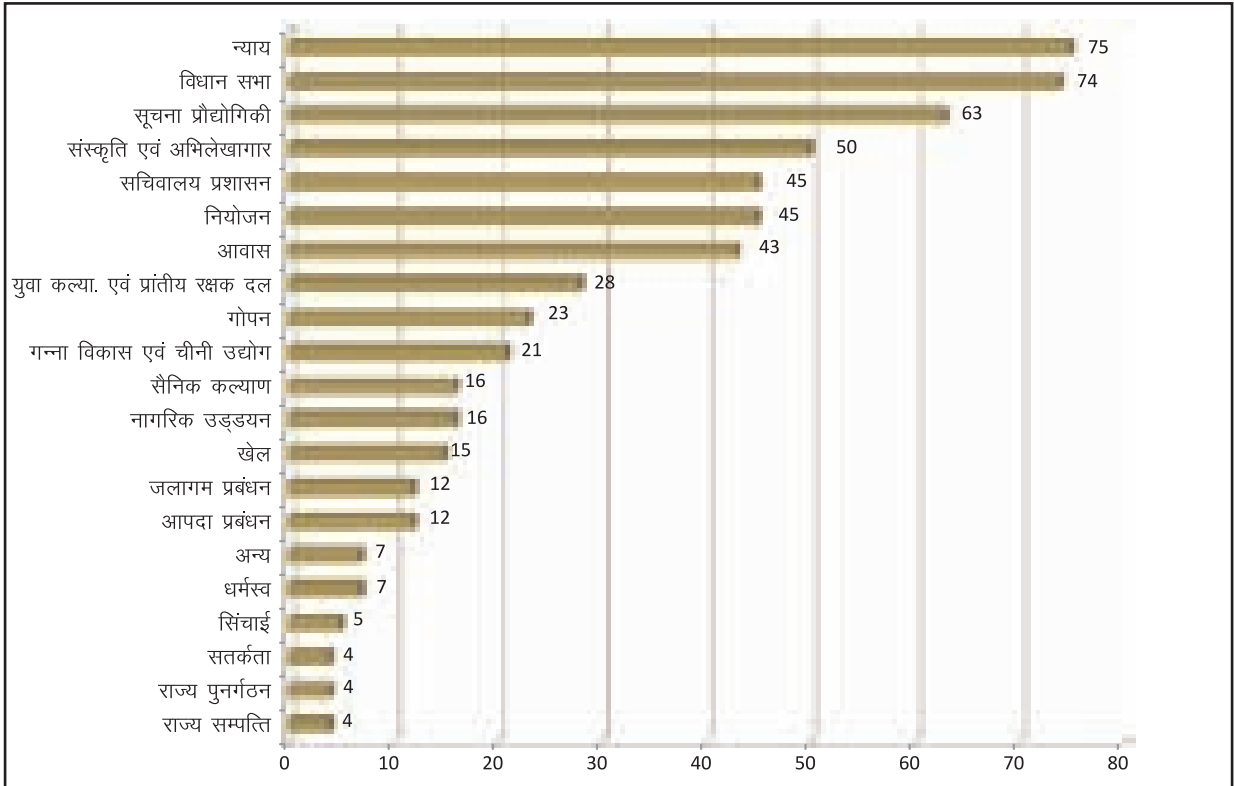
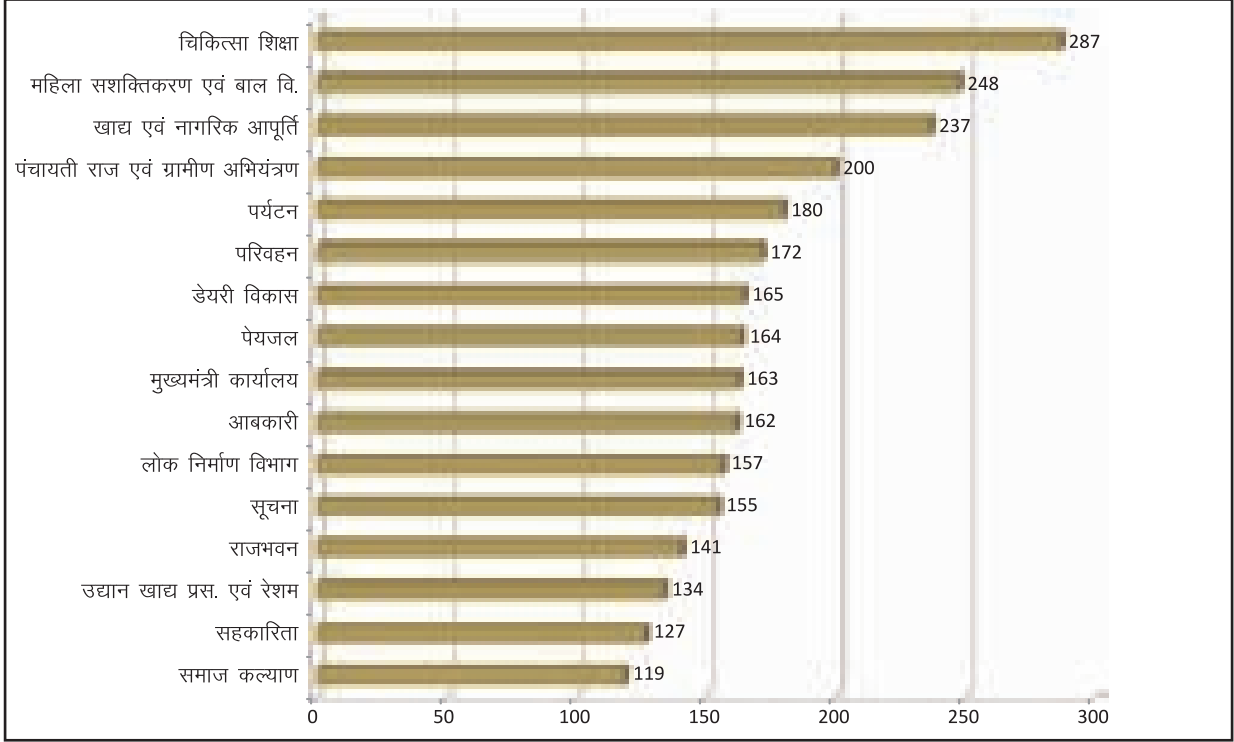
वर्ष : 2024 – 25

क्र.सं.	लोक प्राधिकारी / विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि (रु.)	धारा 8 (1)												धारा 9	धारा 11	धारा 24
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की संख्या																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
29	सूचना	155	149	0	29	21	0	28384															
30	सिंचाई	5	0	0	3	3	0	0															
31	न्याय	75	75	0	7	7	0	2924															
32	श्रम एवं सेवायोजन	329	268	1	42	29	0	4636															
33	विकित्सा शिक्षा	287	287	24	50	50	0	5702									1						
34	लघु सिंचाई	303	287	0	47	47	0	14945															
35	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण	200	200	0	9	9	0	2000															
36	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा	0	0	0	0	0	0	0															
37	कार्मिक	3019	2508	0	373	364	0	295952															
38	नियोजन	45	45	0	5	5	0	894															
39	प्रोटोकाल	0	0	0	0	0	0	0															
40	लोक निर्माण विभाग	157	157	0	60	60	0	3375															
41	धर्मस्व	7	7	0	3	3	0	410															
42	राजस्व	5032	4767	0	608	603	0	64066															
43	ग्राम्य विकास	6113	6110	3	1601	1601	0	45689															
44	सचिवालय प्रशासन	45	45	0	3	3	0	4700															
45	समाज कल्याण	119	119	0	15	15	0	1592															
46	खेल	15	15	0	3	3	0	270															
47	राज्य पुनर्गठन	4	4	0	0	0	0	1286															
48	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	21	21	0	11	11	0	782															
49	पर्यटन	180	180	0	21	21	0	3150															
50	परिवहन	172	172	0	29	29	0	2780															
51	शहरी विकास	347	347	0	58	58	0	5423															
52	सतर्कता	4	4	0	1	1	0	140															
53	जलागम प्रबंधन	12	12	0	1	1	0	50															
54	महिला सशक्तिकरण एवं बाल वि.	248	248	3	50	50	1	7546															
55	युवा कल्या. एवं प्रांतीय रखक दल	28	28	0	5	5	0	670															
56	राजभवन	141	141	0	15	15	0	2913															
57	विधान सभा	74	73	0	11	6	0	2746															
58	उच्च न्यायालय	453	452	1	65	65	46	3774									1						
59	विज्ञान प्रौद्योगिकी	0	0	0	0	0	0	0															
60	अन्य	7	7	0	1	1	0	230															
	कुल योग	56574	54315	553	6597	6241	219	1238081	26	6	2	1	0	0	61	17	14	1	0	9	26		

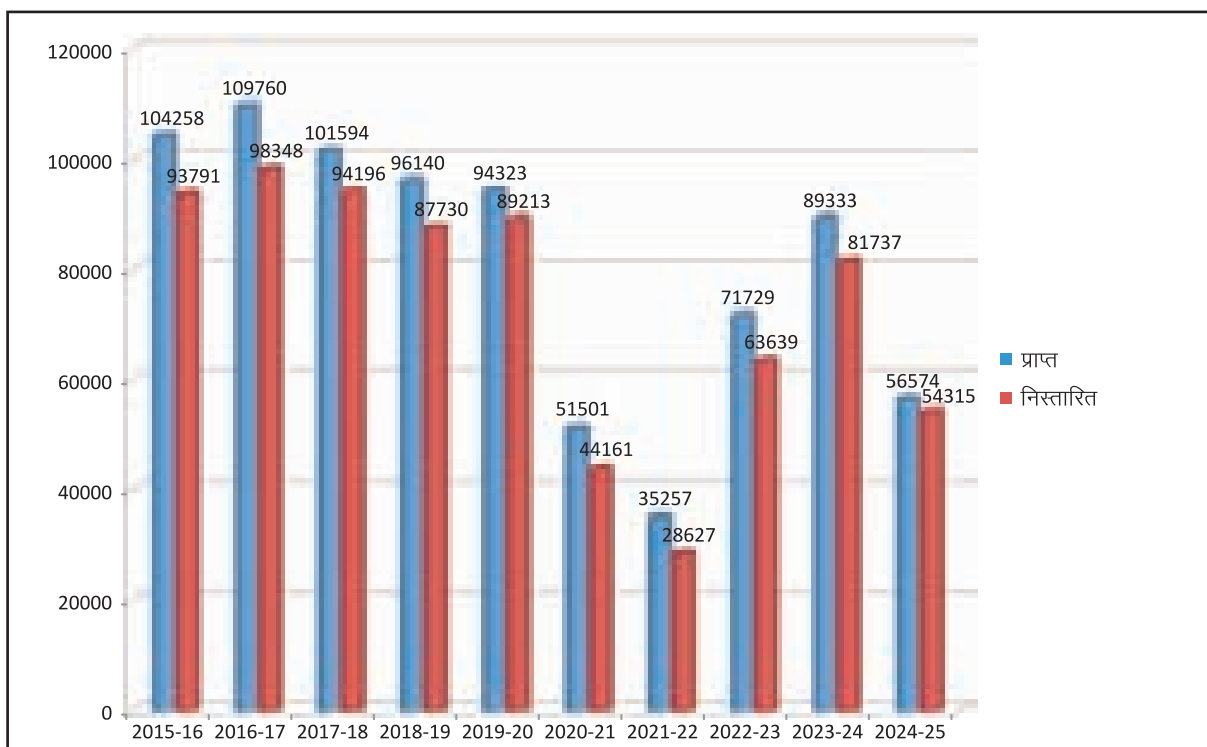
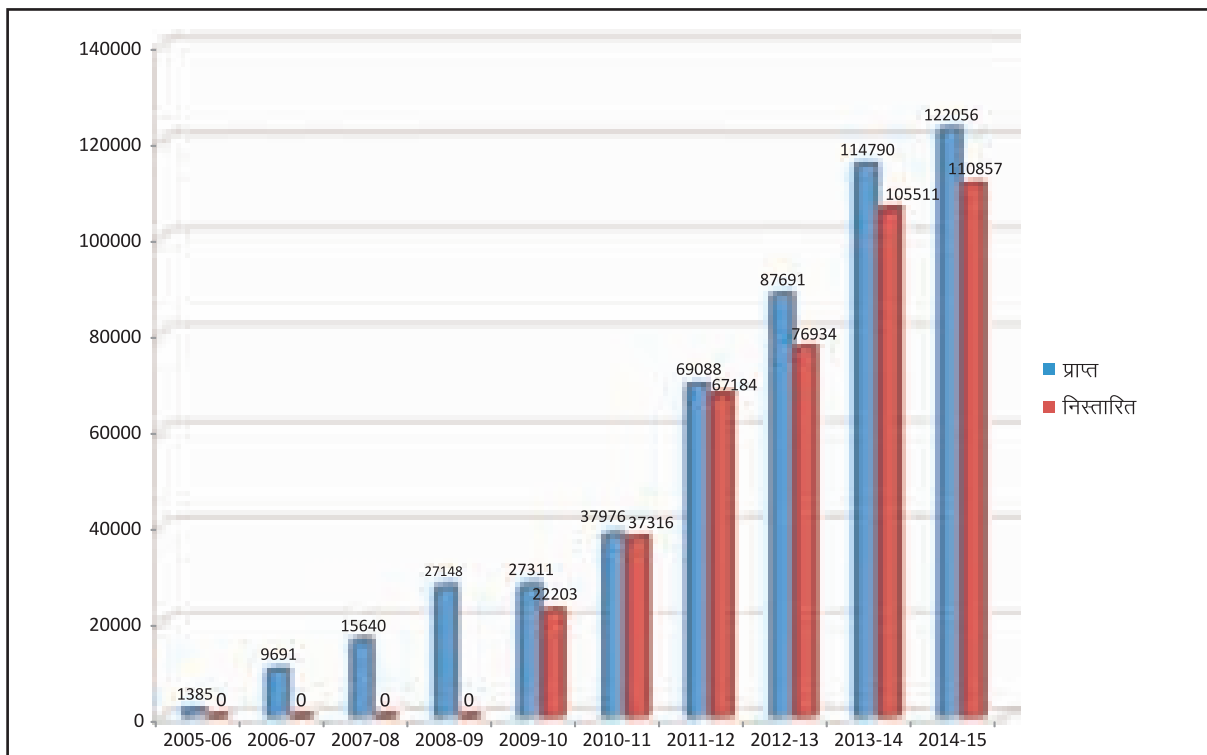
लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (2024-25)



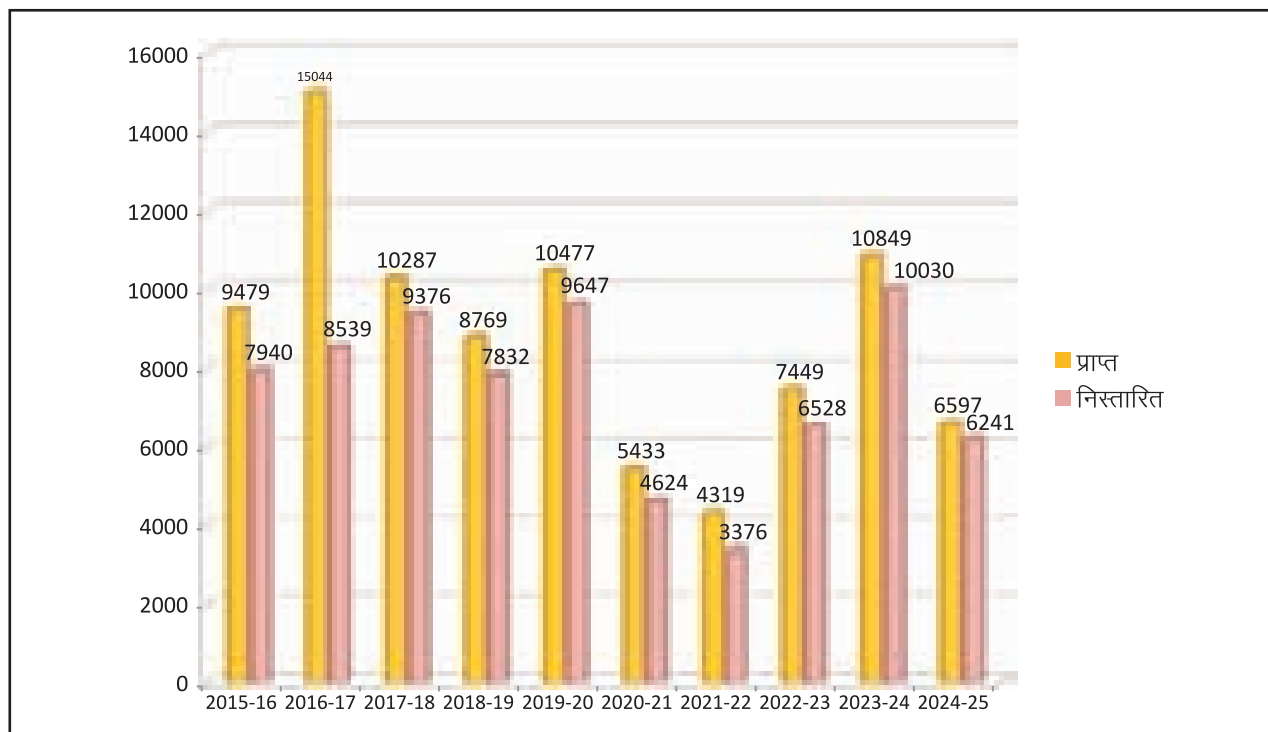
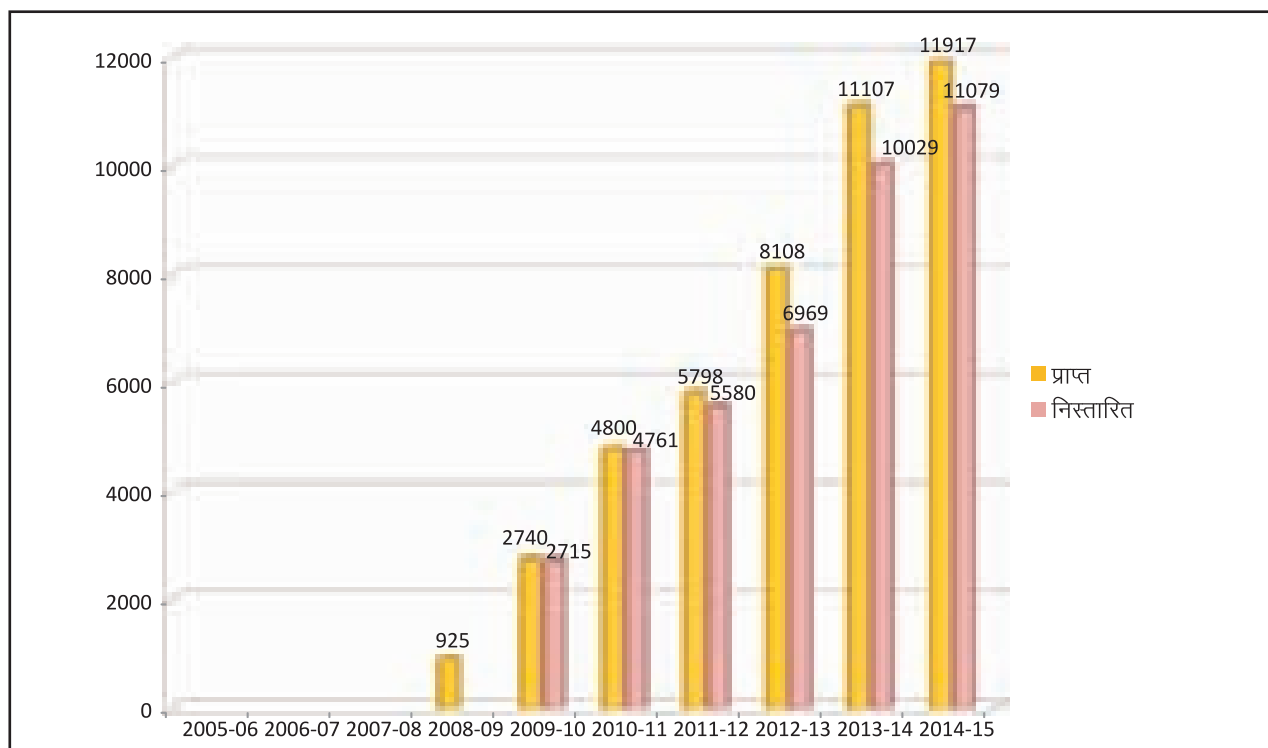
लोक प्राधिकारीवार प्राप्त सूचना आवेदन पत्र (2024-25)



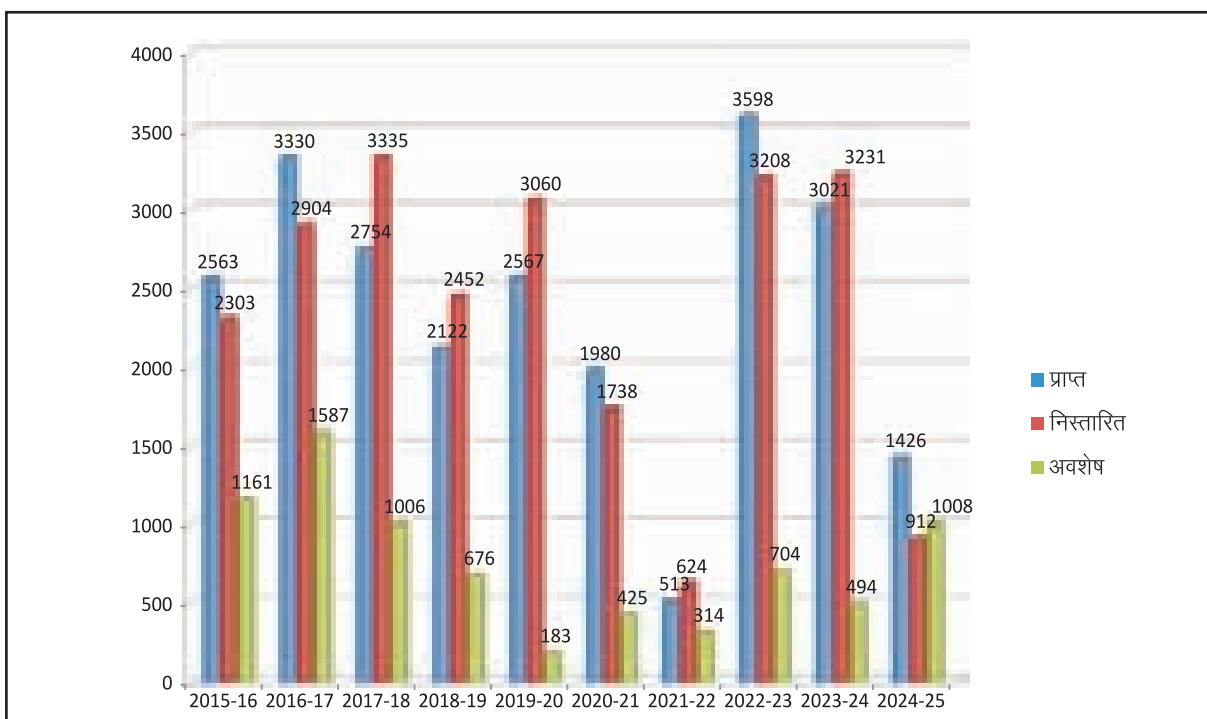
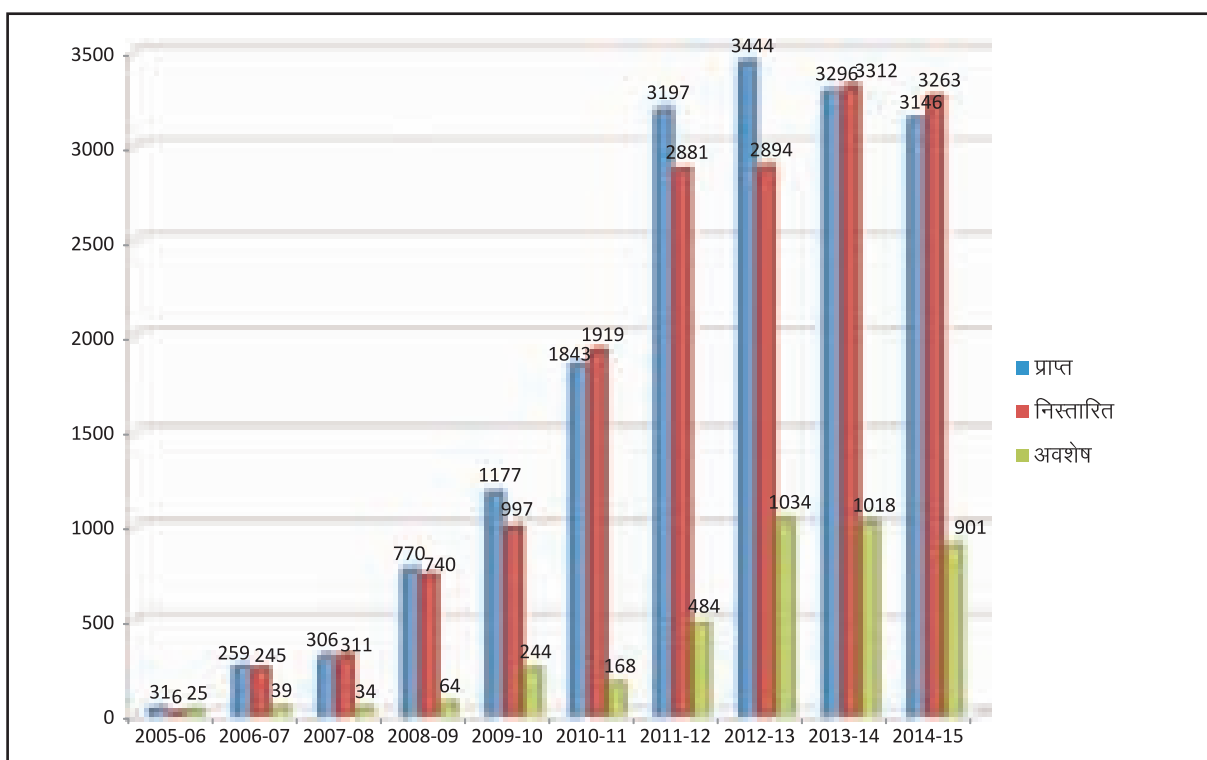
विगत 20 वर्षों में लोक प्राधिकारियों को प्राप्त एवं उनके द्वारा निस्तारित सूचना आवदेन पत्र



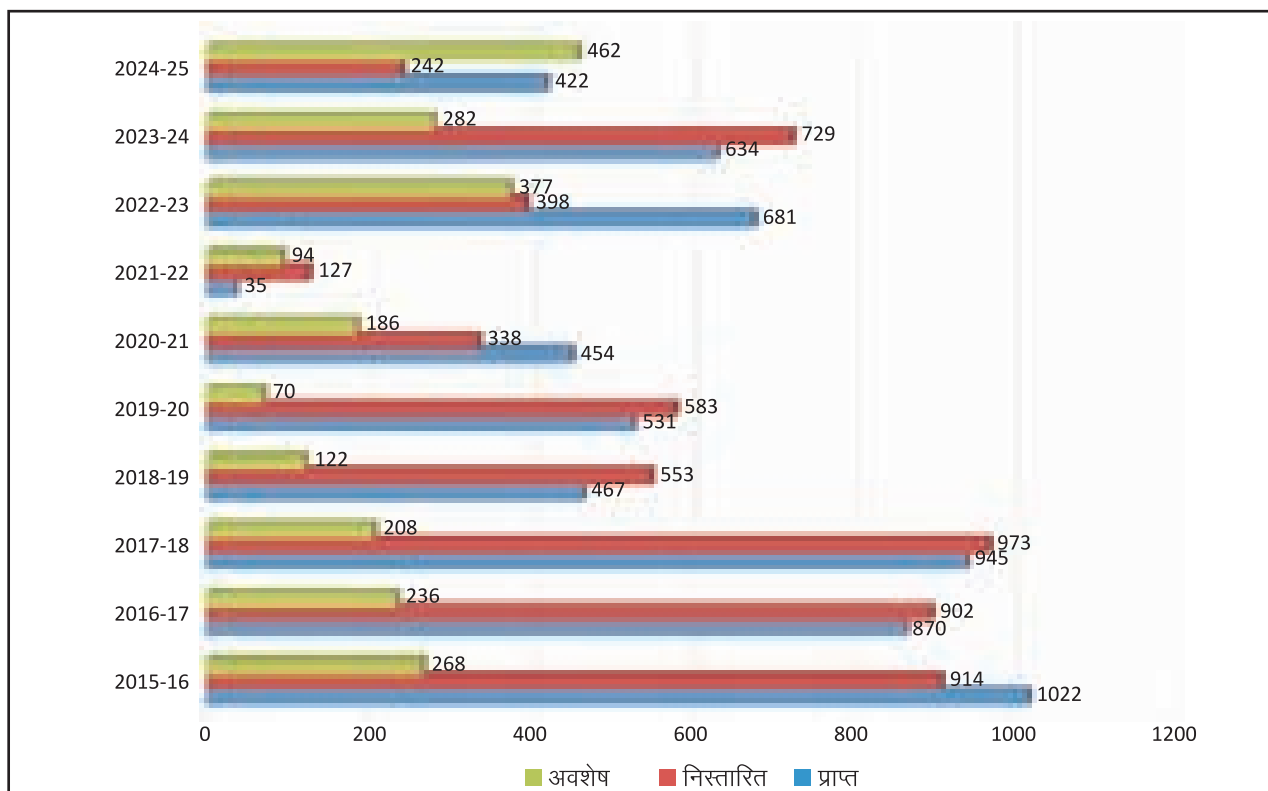
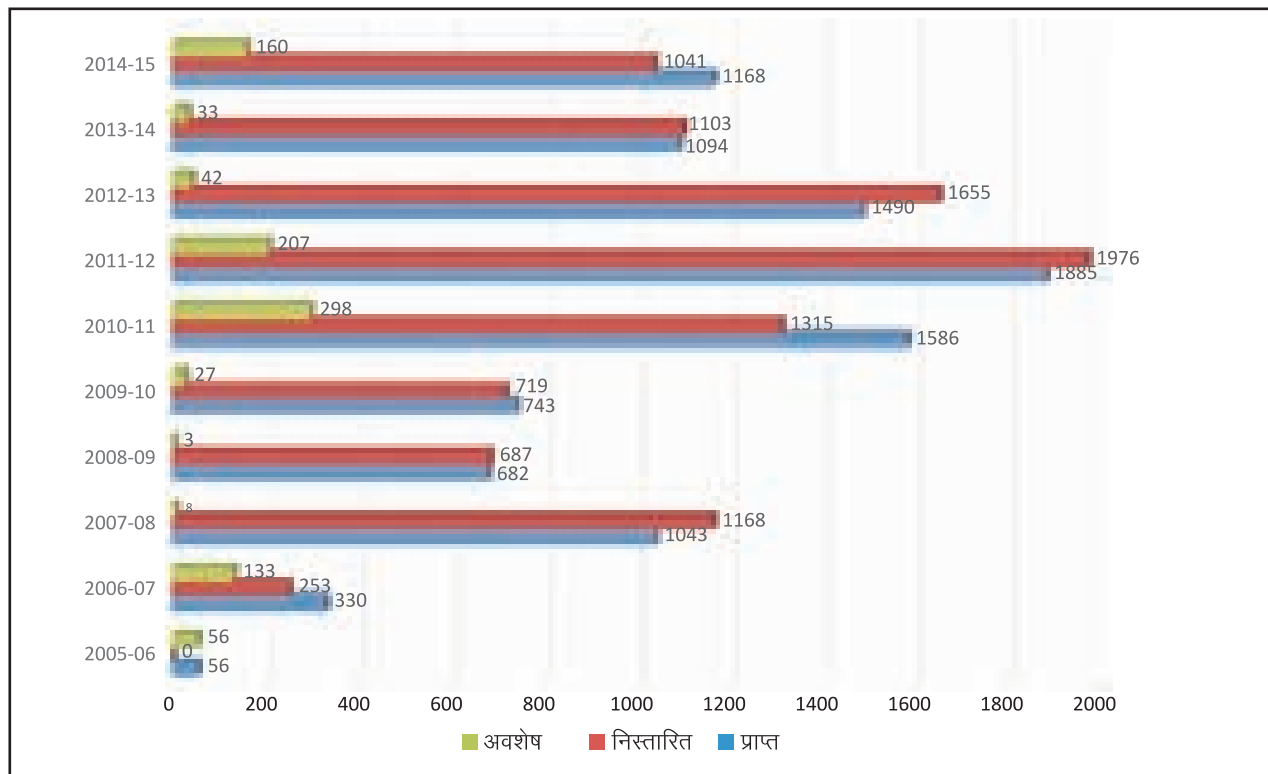
विगत 20 वर्षों में लोक प्राधिकारियों को प्राप्त एवं उनके द्वारा निस्तारित प्रथम अपील



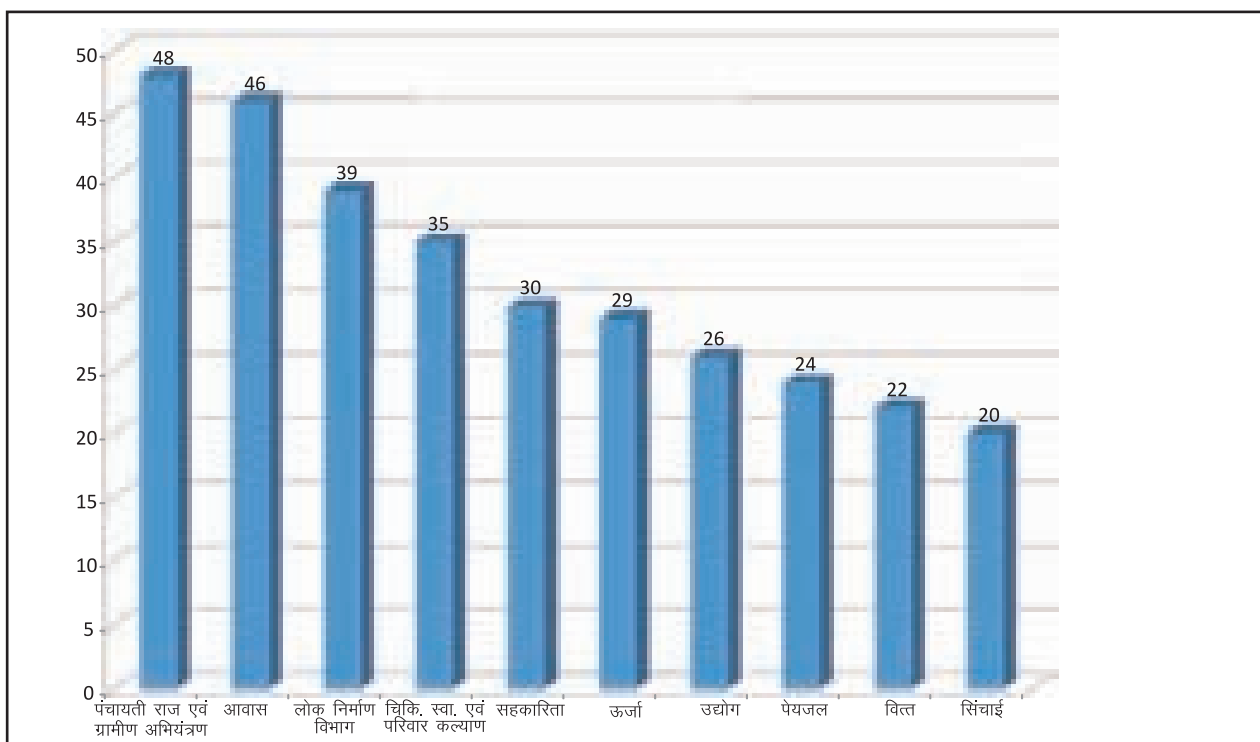
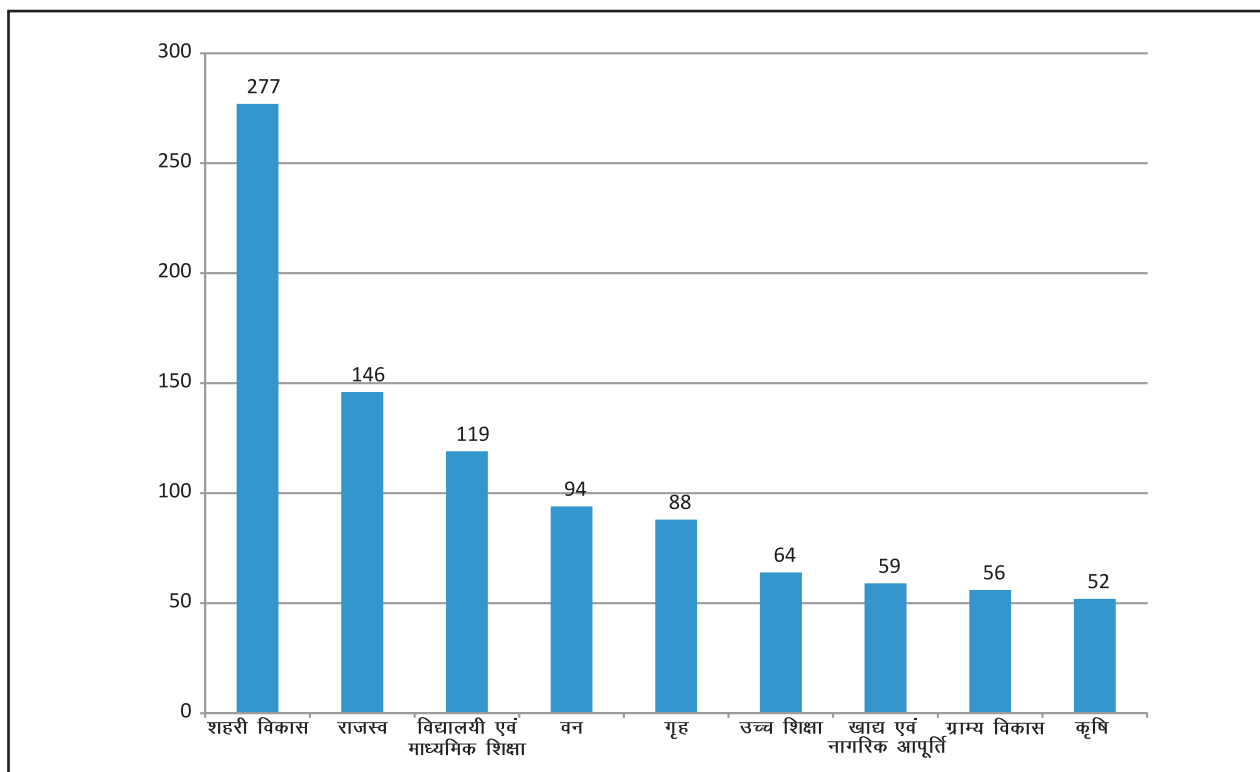
विगत 20 वर्षों में आयोग में प्राप्त, निस्तारित एवं अवशेष द्वितीय अपील



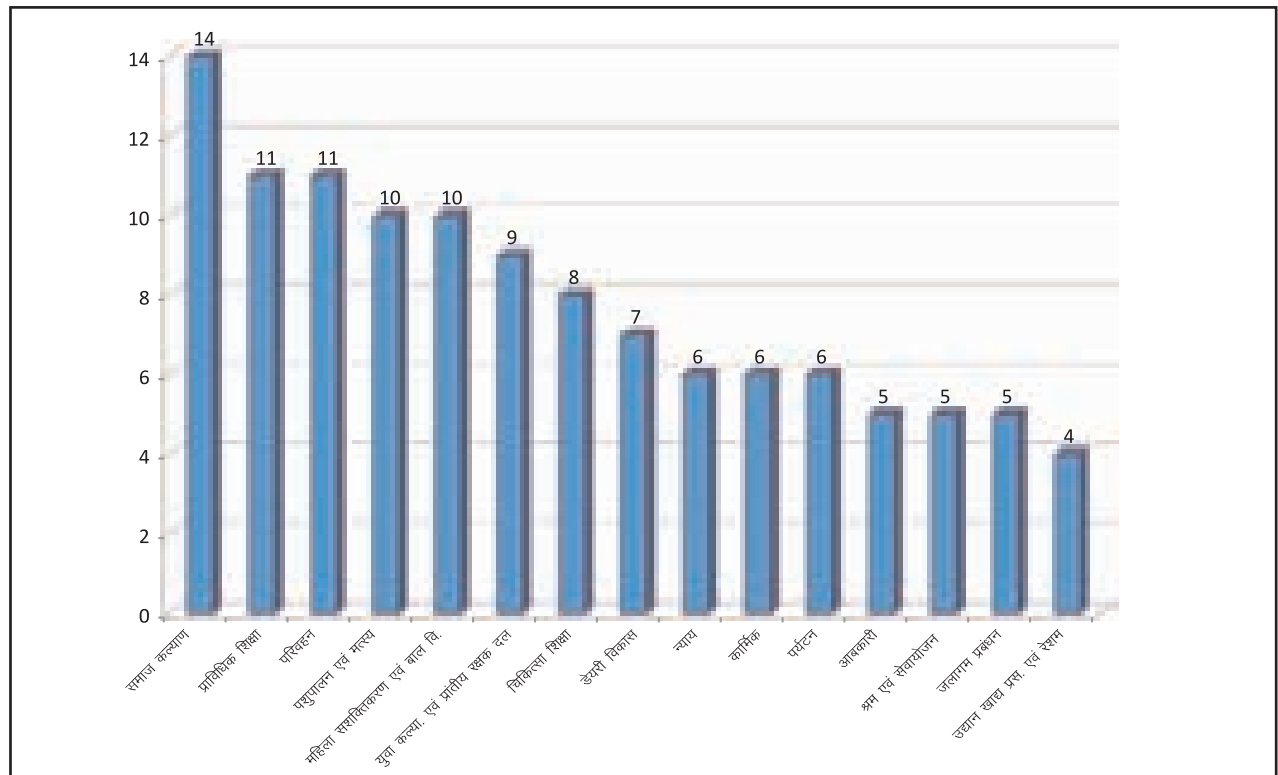
विगत 20 वर्षों में आयोग में प्राप्त, निस्तारित एवं अवशेष शिकायतें



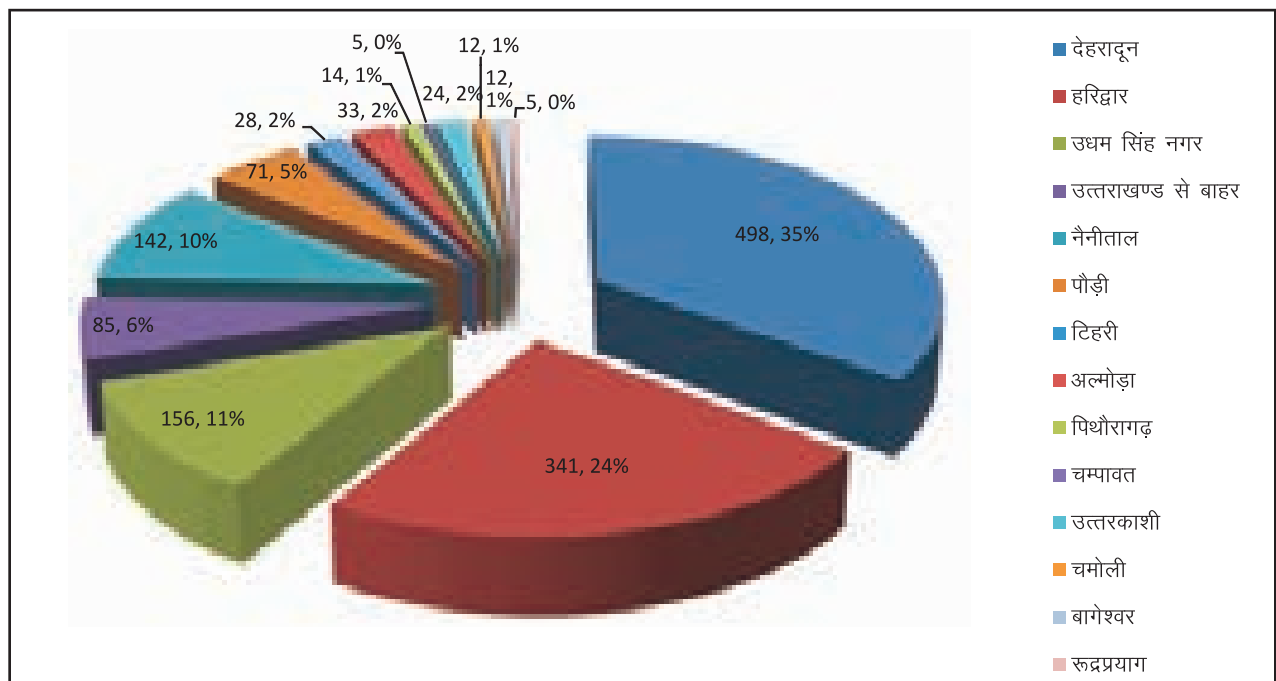
लोक प्राधिकारीवार आयोग में पंजीकृत द्वितीय अपीलों की संख्या (2024-25)



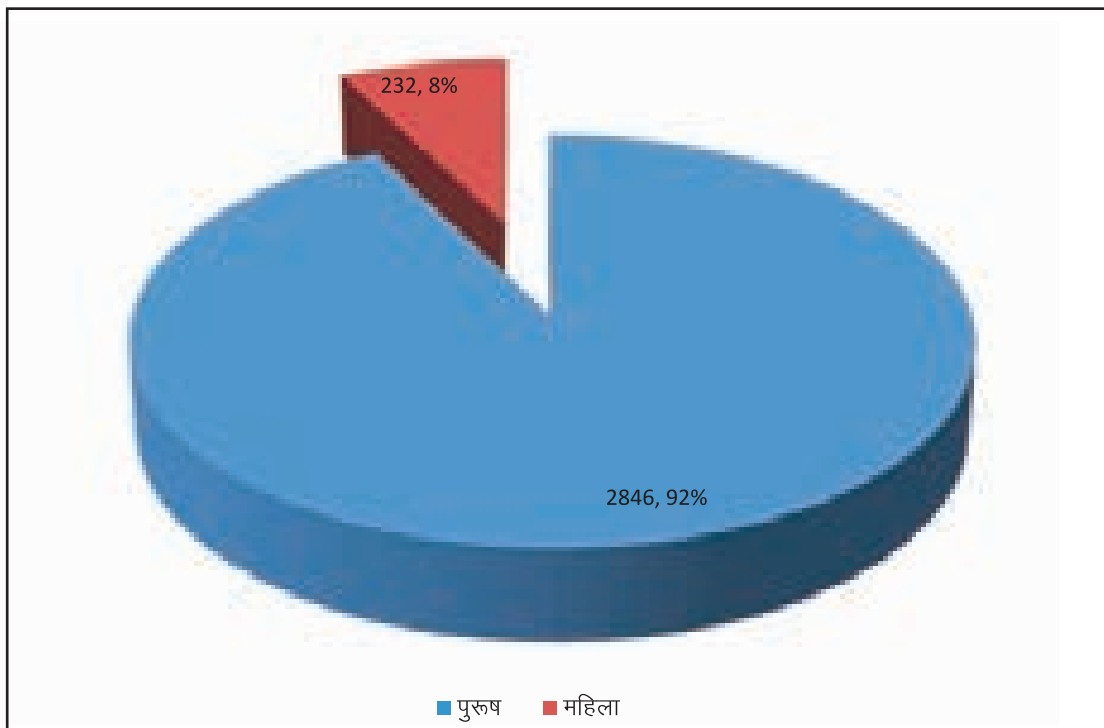
लोक प्राधिकारीवार आयोग में पंजीकृत द्वितीय अपीलों की संख्या (2024-25)



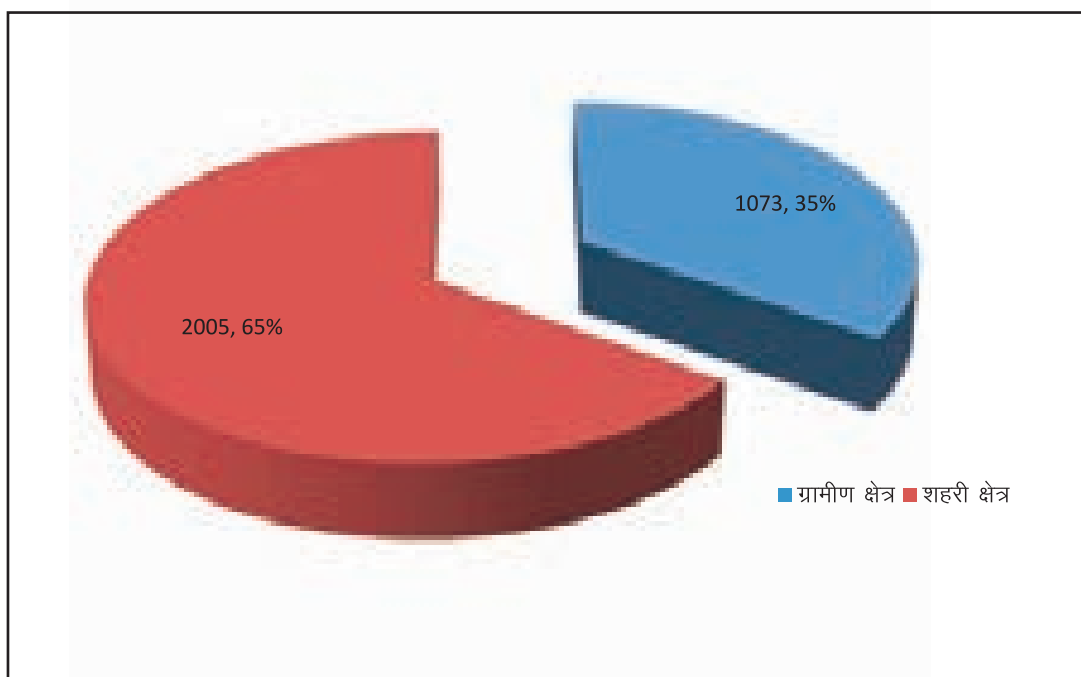
जनपदवार पंजीकृत द्वितीय अपीलों की संख्या (प्रतिशत में) (2024-25)



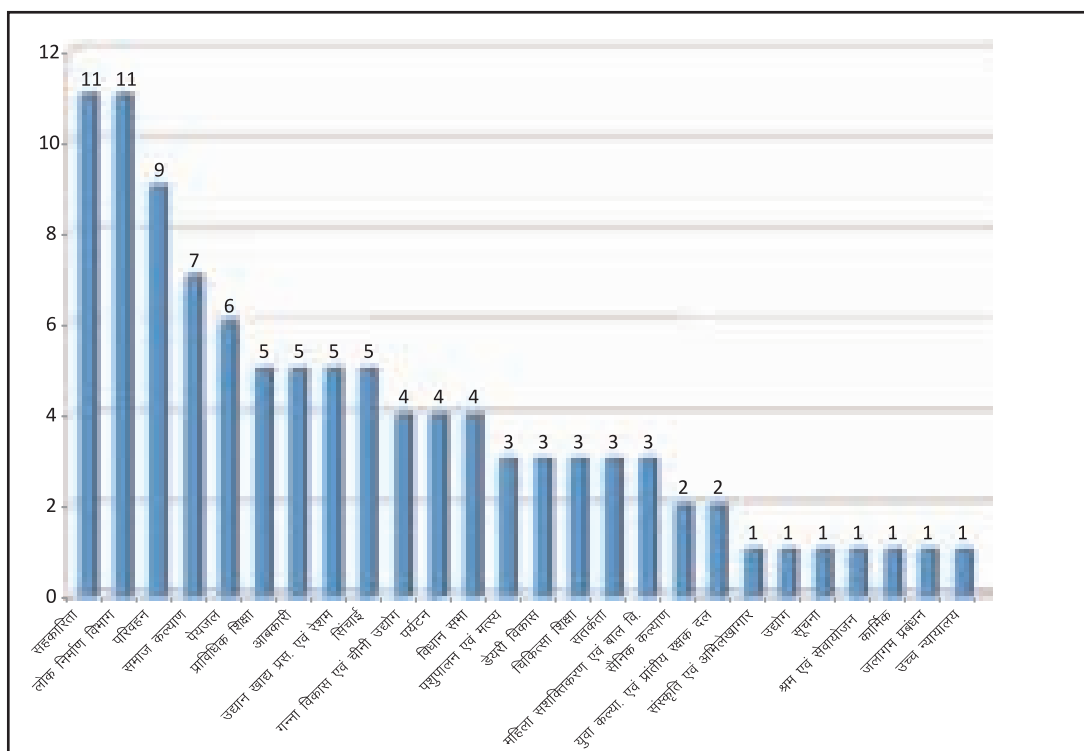
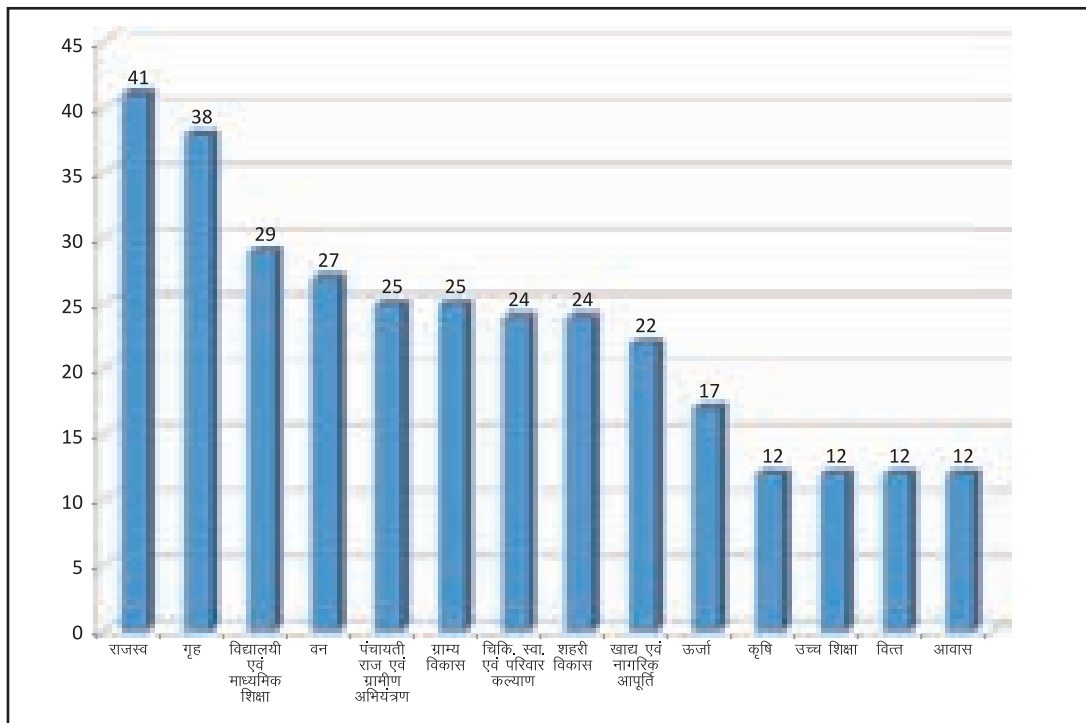
पंजीकृत द्वितीय अपीलों में महिला-पुरुष का अनुपात (2024-25)



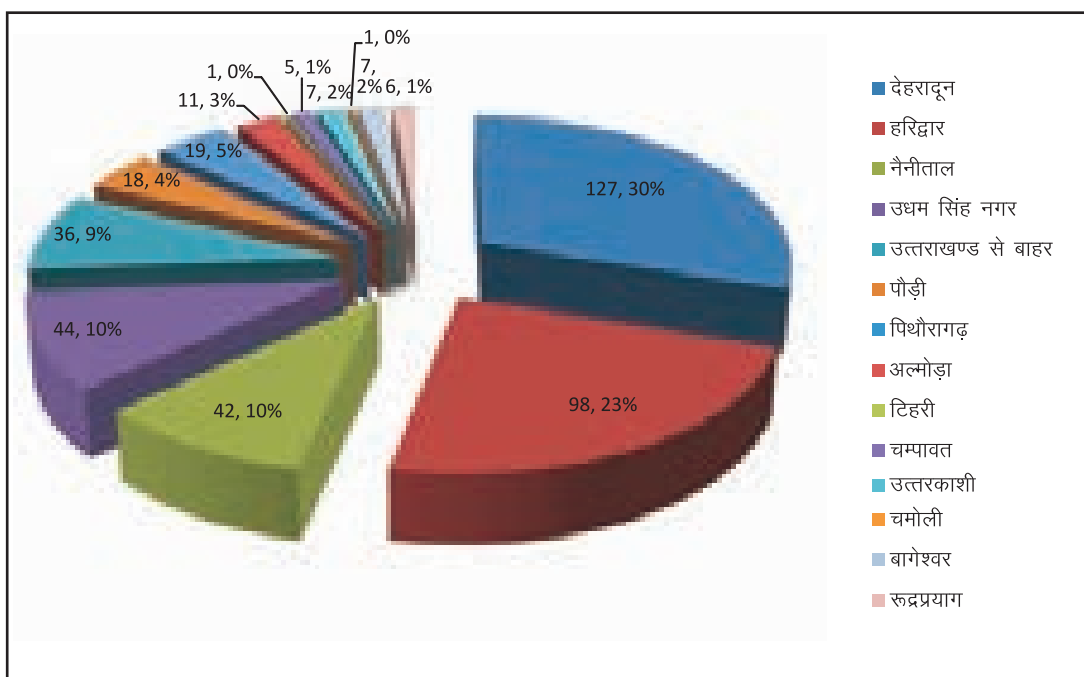
पंजीकृत द्वितीय अपीलों का ग्रामीण-शहरी क्षेत्र का अनुपात (2024-25)



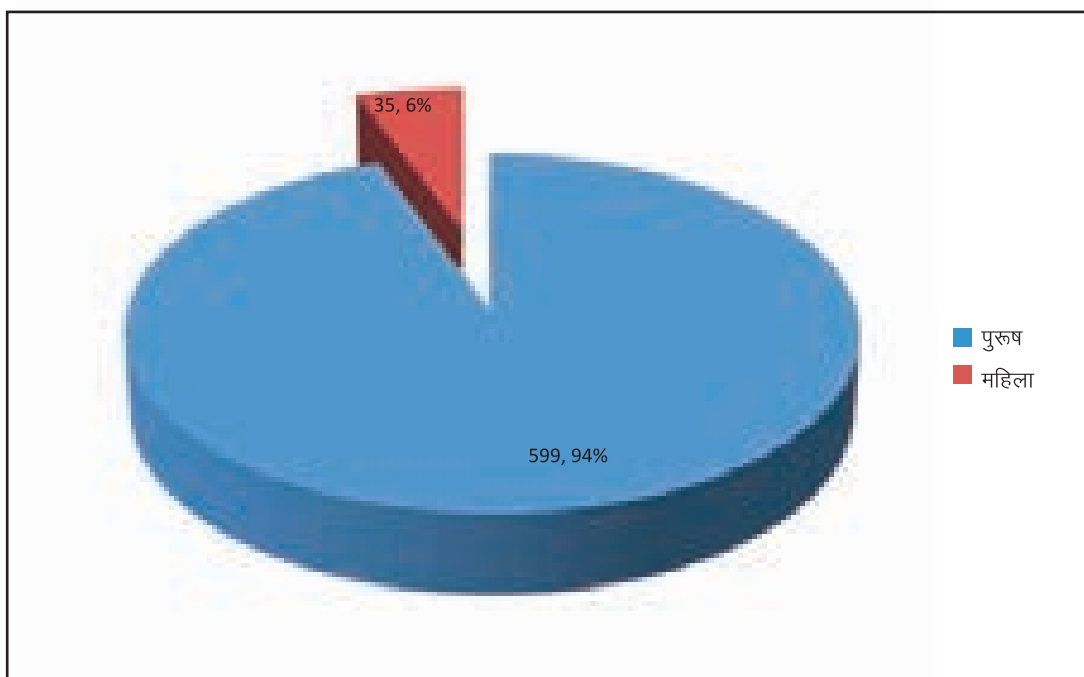
लोक प्राधीकारीवार आयोग में पंजीकृत शिकायतों की संख्या (2024-25)



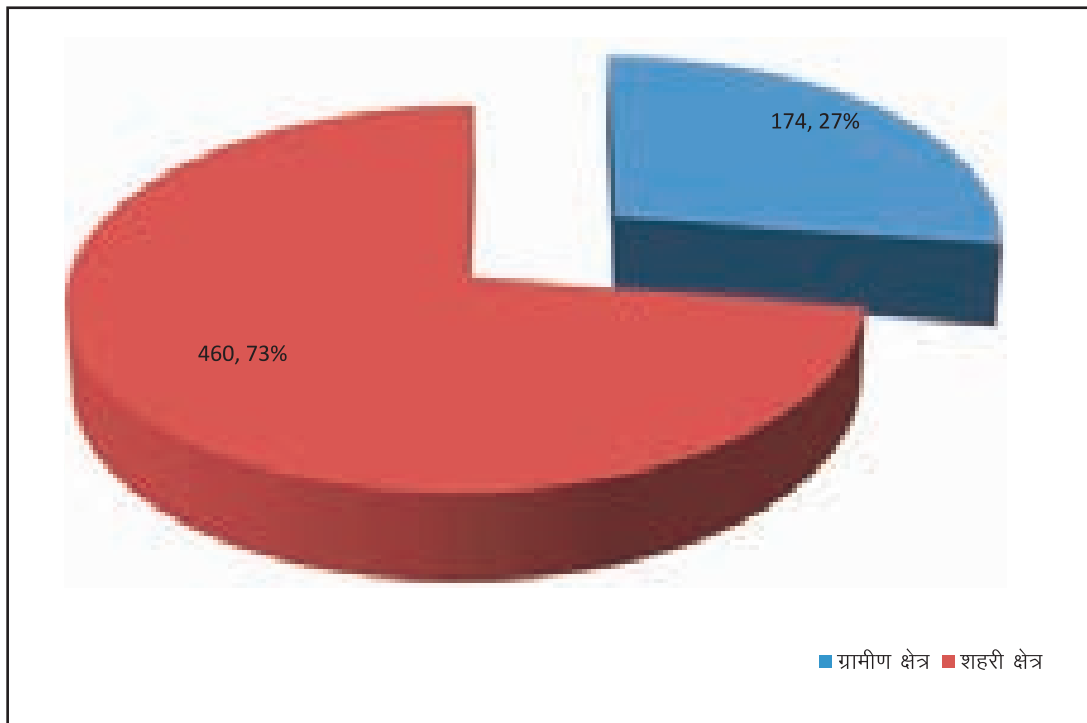
जनपदवार पंजीकृत शिकायतें (प्रतिशत में) (2024-25)



पंजीकृत शिकायतों में महिला- पुरुष अनुपात (2024-25)



पंजीकृत शिकायतों का ग्रामीण - शहरी क्षेत्र अनुपात (2024-25)



सूचना का
अधिकार



सूचना का
अधिकार



प्रशिक्षण एवं जनजागरूकता कार्यक्रम



सूचना का
अधिकार

प्रशिक्षण एवं जनजागरुकता कार्यक्रम

दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा राज्य के नागरिकों के मध्य सूचना का अधिकार अधिनियम के व्यापक प्रचार और प्रसार हेतु “डा0 आर0एस0 टोलिया राज्य स्तरीय सूचना का अधिकार अधिनियम वाद-विवाद प्रतियोगिता” का प्रतिवर्ष आयोजन किये जाने का निर्णय वर्ष 2024 में लिया गया। उक्त प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सीमित वित्तीय संसाधनों के अधीन रहते हुए व्यापक रूप से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों के माध्यम से नागरिकों में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की समझ में वृद्धि करना है।

“डा0 आर0एस0 टोलिया राज्य स्तरीय सूचना का अधिकार अधिनियम वाद-विवाद प्रतियोगिता – 2024” का सर्वप्रथम आयोजन लॉ कालेज, उत्तरांचल विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया जिसमें 12 से अधिक लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया गया।



दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 05 लोक सूचना अधिकारियों और 05 विभागीय अपीलीय अधिकारियों को मा0 राज्यपाल महोदय के कर कमलों के द्वारा सम्मानित किया गया।



वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तराखण्ड सूचना आयोग के द्वारा व्यापक रूप से राज्य के समस्त लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों हेतु आयोग के सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभागों के कुछ अधिकारी सभागार में उपस्थित रहकर तथा दूरस्थ कार्यालयों के अधिकारियों ने गूगल मीट के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में श्री विवेक शर्मा, मुख्य सूचना आयुक्त (प्रभारी) और राज्य सूचना आयुक्त श्री विपिन चन्द्र, श्री योगेश भट्ट ने स्वयं उपस्थित रहकर लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों का मार्गदर्शन किया और उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए गये। मास्टर ट्रेनर श्री टी0एस0 बिष्ट, श्री वी0एम0 ठक्कर और श्री कुँवर सिंह रावत के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले लोक सूचना अधिकारियों और विभागीय अपीलीय अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय और आयोग के महत्वपूर्ण आदेशों के संदर्भ देते हुए बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री सर्वेश कुमार गुप्ता, विधि अधिकारी के द्वारा भी अपने अनुभवों को साझा किया गया।

आरटीआई0 ऑनलाइन पोर्टल पर नोडल अधिकारी, विभागीय अपीलीय अधिकारी और लोक सूचना अधिकारी के द्वारा किस प्रकार कार्य किया जाएगा का प्रशिक्षण

श्री राजेश नैथानी, निजी सचिव और श्री सौरभ कुमार, समीक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदान किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम	दिनांक	विभाग	सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या	ऑनलाइन प्रतिभागियों की संख्या	कुल प्रतिभागी	अभियुक्ति
1	30.08.2024	विद्यालयी शिक्षा	21	0	21	आरटीआई के प्रावधानों का प्रशिक्षण
2	13.09.2024	राजस्व विभाग	21	0	21	आरटीआई के प्रावधानों का प्रशिक्षण
3	25.10.2024	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	24	0	24	आरटीआई के प्रावधानों का प्रशिक्षण
4	29.11.2024	ग्राम्य विकास विभाग	11	0	11	आरटीआई के प्रावधानों का प्रशिक्षण
5	26.12.2024		12	0	12	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
6	27.12.2024	राज्य के समस्त नोडल अधिकारियों को आरटीआई0 ऑनलाइन पोर्टल पर कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया	12	35	47	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
7	28.12.2024		29	10	39	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
8	30.12.2024		10	22	32	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
9	27.01.2025	पशुपालन, कृषि एवं कृषक कल्याण, रेशम निदेशालय	50	100	150	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
10	28.01.2025	डेयरी विकास, स्वजल, निर्वाचन विभाग	18	100	118	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
11	29.01.2025	ऊर्जा विभाग	12	100	112	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
12	03.02.2025	सैनिक कल्याण विभाग शिक्षा विभाग संस्कृत शिक्षा विभाग	38	100	138	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
13	04.02.2025	विद्यालयी शिक्षा विभाग	47	100	147	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
14	05.02.2025	विद्यालयी शिक्षा विभाग	42	100	142	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
15	06.02.2025	श्रम विभाग, उद्यान विभाग सिंचाई विभाग	38	100	138	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
16	07.02.2025	कार्मिक, लोक निर्माण, लघु सिंचाई, पुनर्गठन विभाग, अल्पसंख्यक विभाग स्वास्थ्य विभाग, निर्वाचन आयोग	35	100	135	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण

क्रम	दिनांक	विभाग	सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या	ऑनलाइन प्रतिभागियों की संख्या	कुल प्रतिभागी	अभियुक्ति
17	10.02.2025	राजस्व विभाग	2		2	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
18	11.02.2025		20	100	120	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
19	12.02.2025	पंचायती राज, ग्राम्य विकास	20	100	120	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
20	13.02.2025	ग्राम्य विकास, ग्रामीण निर्माण विभाग	22	100	122	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
21	14.02.2025	वन विभाग, राज्य कर विभाग वित्त विभाग	17	100	117	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
22	03.03.2025	उच्च शिक्षा विभाग	54	100	154	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
23	04.03.2025		23	100	123	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
24	05.03.2025	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	12	145	157	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
25	06.03.2025	समाज कल्याण ,तकनीकी शिक्षा विभाग, कार्मिक, गन्ना एवं चीनी	27	100	127	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
26	07.03.2025	परिवहन, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, जलागम प्रबंधन	42	100	142	आरटीआई पोर्टल का प्रशिक्षण
योग			659	1812	2471	



सूचना का
अधिकार

**आयोग द्वारा द्वितीय
अपीलों/शिकायतों में
आरोपित शास्त्रियां**



सूचना का
अधिकार

क्रम	वर्ष	कुल द्वितीय अपील और शिक्षायात निम पर शास्ति/क्षतिपूर्ति/विभागीय कार्यवाही की गयी	शास्ति							क्षतिपूर्ति									विभागीय कार्यवाही				
			कुल अधिशेषित शास्ति की धनराशि	कुल वर्गों की संख्या	कुल वर्गों की धनराशि	मगो उच्च न्यायालय में विचारणीय	मगो उच्च न्यायालय में विचारणीय	संख्या (वर्गों नहीं हुई)	धनराशि जिसकी वर्गों की गानी है	कुल अधिशेषित क्षतिपूर्ति की संख्या	कुल अधिशेषित क्षतिपूर्ति की धनराशि	कुल भुगतान क्षतिपूर्ति की संख्या	कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि जिसका भुगतान कर दिया गया है	मगो उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित	मगो उच्च न्यायालय में विचारणीय	मगो उच्च न्यायालय में विचारणीय	कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि जिसका भुगतान किया जाना है	धनराशि जिसकी वर्गों की गानी है	कुल संख्या	अनुपालन की संख्या	मगो उच्च न्यायालय में विचारणीय	संख्या निम का अनुपालन नहीं हुआ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2006-07	14	5	60000	4	55000	1	5000	0	0	1	3000	1	3000	0	0	0	0	8	2	1	5	
3	2007-08	12	8	137000	5	39500	1	25000	2	72500	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	1	
4	2008-09	90	53	297500	34	157500	13	110000	6	30000	14	390000	2	55000	4	155000	5	245000	23	3	5	15	
5	2009-10	126	63	551000	30	189174	25	289400	8	72426	46	423225	12	33350	8	81100	15	284150	17	0	6	11	
6	2010-11	201	90	656250	29	141600	41	381500	20	133150	98	485000	45	171700	3	10000	16	183000	13	1	7	5	
7	2011-12	166	109	861000	49	301500	38	371000	22	188500	53	294500	31	124000	1	5000	21	129500	4	0	2	2	
8	2012-13	132	115	895000	68	434500	28	352000	19	108500	14	87500	10	30500	0	0	3	50000	3	0	1	2	
9	2013-14	153	146	1696500	74	733250	35	572000	37	391250	3	28000	1	5000	1	20000	1	20000	4	0	2	2	
10	2014-15	197	189	2568064	113	1448996	31	555750	45	563318	6	78500	3	31000	1	20000	2	20000	2	0	0	2	
11	2015-16	152	151	2674322	73	1122822	51	1124500	27	427000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
12	2016-17	219	215	4876250	95	2052500	52	1252250	68	1571500	4	75000	0	0	0	0	4	75000	0	0	0	0	
13	2017-18	140	135	2776500	47	923000	33	746250	55	1107250	5	26250	4	15000	0	0	2	0	0	0	0	0	
14	2018-19	109	99	1838000	36	608500	19	458500	44	771000	3	52500	1	2500	0	0	3	0	7	2	1	4	
15	2019-20	216	190	2866500	66	945500	24	481250	100	1439750	17	101500	7	37000	0	0	5	30000	9	1	1	7	
16	2020-21	69	60	773500	17	218000	5	90000	38	465500	8	47000	2	3000	0	0	1	0	1	0	0	1	
17	2021-22	53	45	531749	20	258250	3	55000	22	218499	6	90000	1	25000	0	0	4	20000	2	0	0	2	
18	2022-23	146	133	1399500	55	484250	20	250000	58	665250	9	24500	2	11000	0	0	4	8000	3	5500	4	1	3
19	2023-24	173	161	1510750	82	757500	5	82500	74	670750	8	86815	3	39815	0	0	6	0	4	0	1	3	
20	2024-25	132	130	1631500	25	266500	6	121000	99	1244000	2	10000	1	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	
योग		2500	2097	28600885	922	11137842	431	7322900	744	10140143	297	2303290	126	591865	18	291100	92	989650	106	12	29	65	

नोट :- विभागों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त विवरण तैयार किया गया है जोकि समय-समय पर संशोधित होती रहती है।

वर्ष 2024-25 में आयोग द्वारा आरोपित शास्ति/क्षतिपूर्ति/विभागीय कार्यवाही का विवरण

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
1	A-39332	01-04-2024	श्रीमती रूखसाना, / पत्नी श्री मौ० इकबाल, निवासी ग्राम अकबरपुर हाल - निवासी ग्राम खड़ण्जा कुतुबपुर डा० लक्सर तहसील जिला हरिद्वार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील रुडकी / डीम्ड लोक सूचना अधिकारी / राजस्व उप निरीक्षक ग्राम अकबरपुर झौझा तहसील रुडकी जिला हरिद्वार तहसीलदार रुडकी, जिला हरिद्वार	श्री राजेश गौतम, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उप निरीक्षक ग्राम अकबरपुर झौझा तहसील रुडकी जिला हरिद्वार पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	5000	-	-
2	A-38991	04-04-2024	श्री चन्द्र कान्त उपाध्याय, ग्राम पस्तोला, पोस्ट पाटी जिला चम्पावत लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत, जिला चम्पावत मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत, जिला चम्पावत	श्री इन्द्रजीत पाण्डेय, लोक सूचना अधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, चम्पावत, जिला चम्पावत, पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	5000	-	-
3	A-36328	04-04-2024	श्री राजीव कश्यप / सलेमपुर राजपूतान रुडकी जिला हरिद्वार, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, शिव नगर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, शिव नगर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल / शिव नगर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल	श्री अनुभव कुमार, हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, शिव नगर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल पर रु. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	-	-
4	A-39350	05-04-2024	श्री वी० के० शर्मा, / एडवोकेट, 335 /7, हीरानगर, हल्द्वानी जिला नैनीताल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी / प्रधान सहायक ज्येष्ठ ए०सी० जिला कार्यालय नैनीताल, जिला नैनीताल अपर जिलाधिकारी नैनीताल, जिला नैनीताल	मौ० अकरम, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/प्रधान सहायक ज्येष्ठ ए०सी० जिला कार्यालय नैनीताल, जिला नैनीताल पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	5000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
5	A-38990	05-04-2024	श्री संदीप सिंह रावत, ग्राम निसणी, पट्टी पैडुलस्यो, पौड़ी गढ़वाल, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री सुनील कुमार, लोक सूचना अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल, पर रु. 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	—	—
6	A-38359	08-04-2024	श्री कर्मल सिंह रावत, ग्राम मुसराली पो.ओ. मोहन चट्टी, यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल जिला पौड़ी गढ़वाल मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल जिला पौड़ी गढ़वाल	लोक सूचना अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत पौड़ी गढ़वाल जिला पौड़ी गढ़वाल पर रु. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	—	—
7	A-39594	10-04-2024	श्री शुभम भारद्वाज, पुत्र श्री प्रदीप शर्मा, निवासी — गोल गुरुद्वारा ज्वालापुर स्टेशन हरिद्वार सहायक अभियंता हरिद्वार रुडकी विकास प्राधिकरण, जिला हरिद्वार रुडकी विकास प्राधिकरण, जिला हरिद्वार	श्री टी.पी.नौटियाल लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियंता हरिद्वार रुडकी विकास प्राधिकरण, जिला हरिद्वार, पर रु. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	—	—
8	A-39156	12-04-2024	श्री रवि सिंह रावत, पुत्र श्री दलीप सिंह रावत, आदर्श नगर लेन नंबर -04, जौलीग्रांट देहरादून उप खंड अधिकारी वि ० वितरण उप खंड डोईवाला/ जौलीग्रांट देहरादून अधिशासी अभियंता विधुत वितरण खंड डोईवाला देहरादून	श्री मदन मोहन बहुगुणा, लोक सूचना अधिकारी/उप खंड अधिकारी वि ० वितरण उप खंड जौलीग्रांट व श्री गिरिराज, लोक सूचना अधिकारी/उप खंड अधिकारी वि ० वितरण उप खंड डोईवाला देहरादून पर रु. 1000-1000 की शास्ति आरोपित की गयी	2000	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
9	A-39369	23-04-2024	श्री राजेन्द्र कुमार पाठक पुत्र श्री नन्दाबल्लभ, ग्राम भवानीपुर सलिया, पोस्ट गैबुआ तहसील कालाढूंगी जिला नैनीताल वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तहसील नैनीताल/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/एम.जे. तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल / तहसीलदार नैनीताल	श्री कमल चन्द्र तिवारी, लोक सूचना अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तहसील नैनीताल पर रू. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	-	-
10	A-38751	24-04-2024	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, ग्राम नौला, पोस्ट संगलाकोटी, तहसील चौबट्टाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल / सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल / अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री संसार सिंह, सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशासी अभियंता निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल पर रू. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	5000	-	-
11	A-39605	24-04-2024	श्रीमती रेनू अग्रवाल, 2 -सी/7 डाईविल नगर, होटल मधुबन के पीछे, कृष्ण नगर मथुरा उत्तरप्रदेश / अधिशासी अभियंता (परियोजना/ विकास कार्य/ पी.एम.यू. सेल) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्टनगर, सहारनपुर रोड, देहरादून, जिला देहरादून / संयुक्त सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्टनगर, सहारनपुर रोड, देहरादून, जिला देहरादून	श्री सुनील कुमार, लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियंता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रान्सपोर्टनगर, सहारनपुर रोड, देहरादून, जिला देहरादून, पर रू. 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
12	A-39608	26-04-2024	श्री वासुदेव सिंह रावत, ग्राम व पोस्ट किर्बर्स, पट्टी पदयालस्यूं 246001 / जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल / अपर जिलाधिकारी, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री संदीप रावत, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	5000	-	-
13	C-15354	30-04-2024	श्री राकेश काण्डपाल बनाम लोक सूचना अधिकारी लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मसूरी, जिला देहरादून।	श्री राजेश नैथानी, लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मसूरी, जिला देहरादून पर रु. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	5000	-	-
14	A-39624	30-04-2024	श्री राजेश कुमार, पुत्र श्री मगन सिंह, ग्राम धीरमजरा, पोस्ट हाल्लूमजरा जिला हरिद्वार / कार्यालय अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड भगवानपुर, जिला हरिद्वार अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड, भगवानपुर, जिला हरिद्वार	मो० उस्मान, लोक सूचना अधिकारी / उपखण्ड अधिकारी कार्यालय अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड भगवानपुर, जिला हरिद्वार पर रु. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	-	-
15	A-39511	30-04-2024	श्री मुनीष कुमार जैन, पुरुषोत्तम विहार कॉलोनी कनखल हरिद्वार / वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान हरिद्वार जिला हरिद्वार / उप नियंत्रक, कार्यालय नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड 8ए, बंगाली लाईब्रेरी रोड, देहरादून	श्री अमित कुमार, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान हरिद्वार जिला हरिद्वार पर रु. 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
16	C-15158	02-05-2024	श्रीमती रंजन बाला, डी -215, गोविन्द पुरम, हापुड़ रोड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश/सिडकुल, 29- आई आई ई, आई टी पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून/कंपनी सचिव, सिडकुल, 29- आई आई ई, आई टी पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून	श्री वाई.एस.पुण्डरीर, महाप्रबंधक, नियोजन, सिडकुल, 29- आई आई ई, आई टी पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून पर रू. 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	-	-
17	A-39290	03-05-2024	श्री राज किशोर, निवासी बड़ा परिवार गुरुकुल कांगड़ी परिसर हरिद्वार, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्व विद्यालय रेलवे रोड हर्षवाला, देहरादून, जिला देहरादून प्रभारी कुल सचिव, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्व विद्यालय देहरादून, जिला देहरादून	डॉ० विपिन कुमार पाण्डेय, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/गुरुकुल कांगड़ी परिसर, गुरुकुल कांगड़ी कैम्पस हरिद्वार पर रू. 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	5000	-	-
18	A-39468	06-05-2024	श्री धीरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री बलराम सिंह, 108 -परिहार भवन, गली नंबर -03, निकट बिरला फार्म हरिपुर कला वाया रायवाला, देहरादून/खंड शिक्षाधिकारी, बहादुराबाद, हरिद्वार, जिला हरिद्वार/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्या, आनंदमयी सेवा सदन म्यु0 कन्या इन्टर कालेज हरिद्वार, जिला हरिद्वार पर रू. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	डॉ० लक्ष्मी देवी, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्या, आनंदमयी सेवा सदन म्यु0 कन्या इन्टर कालेज हरिद्वार, जिला हरिद्वार पर रू. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	-	-
19	C-15665	06-05-2024	श्री धीरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री बलराम सिंह, 108 -परिहार भवन, गली नंबर -03, निकट बिरला फार्म हरिपुर कला वाया रायवाला, देहरादून/खंड शिक्षाधिकारी, बहादुराबाद, हरिद्वार, जिला हरिद्वार/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्या, आनंदमयी सेवा सदन म्यु0 कन्या इन्टर कालेज हरिद्वार, जिला हरिद्वार पर रू. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, लोक सूचना अधिकारी/जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण, नरेन्द्र नगर, नई टिहरी पर रू. 12250 की शास्ति आरोपित की गयी	12250	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
20	C-16092/16093	5/14/2024	श्री जितेन्द्र सिंह रावत बनाम अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण पंचायती राज निदेशालय सहस्रधारा रोड़ देहरादून व अन्य में।	श्री संजय सिंह लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण पंचायती राज निदेशालय सहस्रधारा रोड़ देहरादून पर सांकेतिक रूप से रु० 5000 की शास्ति अधिरोपित की जाती है।	5000	—	—
21	A-38989	14-05-2024	श्रीमती सुनीता, पत्नी श्री मदन सिंह, निवासी ग्राम खानपुर ग्राम पंचायत व खण्ड खानपुर जिला हरिद्वार/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत-खानपुर, विकासखंड -खानपुर, जिला हरिद्वार, द्वारा खंड विकास अधिकारी, खानपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार/खंड विकास	श्री सत्यवीर सिंह, तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत-खानपुर, विकासखंड -खानपुर, जिला हरिद्वार पर रु. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	—	—
22	A-39299	16-05-2024	श्री राकेश कुमार, पुत्र श्री दौलत राम, निवासी ग्राम व पोस्ट गढ़ीनेगी काशीपुर, जिला उधमसिंहनगर/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत-गढ़ीनेगी, विकासखंड-जसपुर जिला उधमसिंह नगर द्वारा खंड विकास अधिकारी विकास खंड जसपुर जिला उधमसिंह नगर/खंड विकास अधिकारी, जसपुर, जिला उधमसिंह नगर	श्री विनोद कुमार, लोक सूचना अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत-गढ़ीनेगी, विकासखंड-जसपुर जिला उधमसिंह नगर व श्री योगेन्द्र उपाध्याय, लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत-गढ़ीनेगी, विकासखंड-जसपुर जिला उधमसिंह नगर पर रु. 2000-2000 की शास्ति आरोपित की गयी	4000	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
23	A-38862	20-05-2024	श्री विकास चौहान, पुत्र स्व.श्री कुलदीप सिंह, जिला जेल देहरादून / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील सदर, जिला देहरादून / डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, एम.जे. न्यायालय तहसील सदर, जिला देहरादून / तहसीलदार, तहसील सदर जिला देहरादून	श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी, लोक सूचना अधिकारी / रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील सदर, जिला देहरादून पर रु. 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	-	-
24	A-39604	28-05-2024	श्री दीन दयाल बनाम लोक सूचना अधिकारी प्रा० अधिशासी अभियन्ता (अनाधिकृत निर्माण मानचित्र अनुभाग) / सहायक अभियंता, ऋषिकेश, शाखा कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड, देहरादून, जिला देहरादन और विभागीय अपीलीय अधिकारी संयुक्त सचिव मसूरी देरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड देहरादून, जिला देहरादून एवं	श्री सुनील कुमार गुप्ता लोक सूचना अधिकारी / सहायक अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्ट नगर सहारनपुर रोड, देहरादून, जिला देहरादून पर रु0 10000 / की शास्ति आरोपित की गयी	10000	-	-
25	A-37819	31-05-2024	सुश्री शाहना परवीन, बनाम लोक सूचना अधिकारी राजकीय सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय मखनपुर, भगवानपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी राजकीय सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय मखनपुर, भगवानपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार एवं	श्री रमेश चन्द्र राठी, लोक सूचना अधिकारी / राजकीय सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय मखनपुर, भगवानपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार पर रु0 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
26	A-39685	10-06-2024	श्री अभिषेक गौड़, बनाम लोक सूचना अधिकारी उप जिलाधिकारी विकास नगर/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) देहरादून, जिला देहरादून	श्री नरेन्द्र सिंह, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उपनिरीक्षक, क्षेत्र वे0हो0टा0 तहसील विकासनगर, जिला देहरादून पर 25000 /— की शास्ति आरोपित की गयी	25000	—	—
27	A-39097	12-06-2024	श्री सतीश कुमार, बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसील सदर देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी तहसीलदार सदर देहरादून	श्री प्रेम प्रकाश गोस्वामी, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/राजिस्ट्रार कानूनगों, तहसील सदर, देहरादून पर रू0 25000 की शास्ति आरोपित की गयी विभागीय अपीलीय अधिकारी/तहसीलदार सदर, देहरादून, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/राजिस्ट्रार कानूनगों, तहसील सदर, पर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के आदेश दिए गए	25000	—	—
28	C-15738	19-06-2024	श्री प्रीति सिंह रावत, बनाम लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लाटा विकास खंड भटवाडी, उत्तरकाशी, जिला उत्तरकाशी और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री विनोद पंवार, ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लाटा विकास खंड भटवाडी, उत्तरकाशी, जिला उत्तरकाशी	श्री विनोद पंवार, ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत लाटा विकास खंड भटवाडी, उत्तरकाशी, जिला उत्तरकाशी पर रू0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	5000	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
29	A-38792	19-06-2024	कुमारी पल्लवी चमोला, बनाम लोक सूचना अधिकारी श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाही शौल, टिहरी गढ़वाल जिला टिहरी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी डॉ० बी०एल० आर्य, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, सहायक परीक्षा नियंत्रक, मुख्य परीक्षा श्री देव सुमन उ०वि० टिहरी	डॉ० बी०एल० आर्य, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, सहायक परीक्षा नियंत्रक, मुख्य परीक्षा श्री देव सुमन उ०वि० टिहरी पर ₹० 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	5000	—	—
30	A-38485	19-06-2024	श्री सूबेदार, हरेन्द्र सिंह रावत, बनाम लोक सूचना अधिकारी अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नारसन, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी डॉ० पंकज कुमार जैन, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार	डॉ० पंकज कुमार जैन, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार पर ₹० 1000 की शास्ति आरोपित की गयी और उन्हें कठोर चेतावनी निर्गत की गयी	1000	—	—
31	A39754	19-06-2024	श्री उदयवीर सिंह, बनाम लोक सूचना अधिकारी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्रीमती पूनम सैनी, लोक सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, ब्लॉक बहादुराबाद, हरिद्वार	श्रीमती पूनम सैनी, लोक सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, ब्लॉक बहादुराबाद, हरिद्वार पर ₹० 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	—	—
32	A-39058	21-06-2024	श्री अजय बिष्ट, बनाम लोक सूचना अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी, पोखडा (पौड़ी गढ़वाल)/ और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री अनुराज कान्त, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य, जनता इंटर कालेज, देवराजखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री अनुराज कान्त, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य, जनता इंटर कालेज, देवराजखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल पर ₹० 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
33	C-15765	26-06-2024	श्री कवरपाल बनाम लोक सूचना अधिकारी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, रुडकी, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री एम0एस0 रावत, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, रुडकी, जिला हरिद्वार	श्री एम0एस0 रावत, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, रुडकी, जिला हरिद्वार पर रू० 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	—	—
34	A-39790	28-06-2024	डॉ० कंचन रावत, बनाम लोक सूचना अधिकारी उप जिला चिकित्सालय विकास नगर, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी डा० थान सिंह डुगरियाल तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी उप जिला चिकित्सालय विकासनगर, देहरादून	डा० थान सिंह डुगरियाल तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी उप जिला चिकित्सालय विकासनगर, देहरादून पर रू० 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	—	—
35	A39614	28-06-2024	श्री जगदीश बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड काशीपुर उधमसिंहनगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी	लोक प्राधिकारी/प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून पर रू० 5000 की क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी	5000	—	—
36	C-15618	08-07-2024	श्री संदीप रावत, बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री सुनील कुमार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री सुनील कुमार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, पौड़ी गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल पर रू० 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	—	—
37	A-39862	11-07-2024	श्री पूरन सिंह, बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा, अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री अत्रेश सयाना, अपर जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अल्मोड़ा	श्री अत्रेश सयाना, अपर जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अल्मोड़ा पर रू० 13000 की शास्ति आरोपित की गयी	13000	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
38	A-39251	15-07-2024	श्री रजनीश दयाल गर्ग, बनाम लोक सूचना अधिकारी अनुसचिव, (सम्पत्ति/भू-अर्जन) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून, सहारनपुर रोड, निकट-ट्रान्सपोर्टनगर, देहरादून, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री विक्रम सिंह, लिपिक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून, सहारनपुर रोड, निकट-ट्रान्सपोर्टनगर, देहरादून, जिला देहरादून	श्री विक्रम सिंह, लिपिक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून, सहारनपुर रोड, निकट-ट्रान्सपोर्टनगर, देहरादून, जिला देहरादून पर रू0 8000 की शास्ति आरोपित की गयी	8000	—	—
39	A-40067	18-07-2024	श्री जितेन्द्र सिंह मोर्य, बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री अमन अनिरुद्ध, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर	श्री अमन अनिरुद्ध, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर पर रू0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	5000	—	—
40	A-39706	19-07-2024	श्री नकुल कुमार, बनाम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय तहसीलदार, रुडकी, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री मनोज पाण्डे, रजिस्ट्रार डीमड लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, रुडकी, जिला हरिद्वार	श्री मनोज पाण्डे, रजिस्ट्रार डीमड लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, रुडकी, जिला हरिद्वार पर रू0 1000 की शास्ति आरोपित की गयी	1000	—	—
41	C-15749	22-07-2024	श्री प्रभांश पाण्डेय, बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक नगर आयुक्त (भवन/नामांतरण)/उप नगर आयुक्त, नगर-निगम, देहरादून, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री सतेन्द्र कुमार, कर निरीक्षक, डीमड लोक सूचना अधिकारी, नगर निगम, देहरादून	श्री सतेन्द्र कुमार, कर निरीक्षक, डीमड लोक सूचना अधिकारी, नगर निगम, देहरादून पर रू0 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
42	C-15797	22-07-2024	श्री तजेन्द्र, बनाम लोक सूचना अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहसपुर, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री मोहन सिंह, चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहसपुर, देहरादून	श्री मोहन सिंह, चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहसपुर, देहरादून पर ₹0 500 की शास्ति आरोपित की गयी	500	—	—
43	A-39667	23-07-2024	श्री मुकेश जैन, बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील सदर, देहरादून/डीमड लोक सूचना अधिकारी/राजस्व निरीक्षक-जाखन तहसील सदर देहरादून, जिला देहरादून द्वारा तहसीलदार तहसील सदर जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री प्रकाश वीर, राजस्व निरीक्षक, डीमड लोक सूचना अधिकारी/जाखन, तहसील सदर देहरादून और सोहन सिंह रांगड, तहसील कालसी देहरादून क्रमशः ₹0 25000 और ₹0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	श्री प्रकाश वीर, राजस्व निरीक्षक, डीमड लोक सूचना अधिकारी/जाखन, तहसील सदर देहरादून और सोहन सिंह रांगड, तहसील कालसी देहरादून पर क्रमशः ₹0 25000 और ₹0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	30000	—	—
44	A-39253	25-07-2024	श्री सीताराम,जड़ौदिया, बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता (अनाधिकृत निर्माण/मानचित्र अनुभाग) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्टनगर, सहारनपुर रोड, देहरादून, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह रावत, सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्टनगर, सहारनपुर रोड, देहरादून, जिला देहरादून	श्री शैलेन्द्र सिंह रावत, सहायक अभियन्ता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रान्सपोर्टनगर, सहारनपुर रोड, देहरादून, जिला देहरादून पर ₹0 8250 की शास्ति आरोपित की गयी	8250	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
45	A-39775	26-07-2024	श्री गोपाल वनवासी, बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री विपिन कुमार, अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर	श्री विपिन कुमार, अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम बागेश्वर पर रू0 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	—	—
46	A-39976	27-07-2024	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद बमराड़ा, बनाम लोक सूचना अधिकारी प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज गंगा भोगपुर यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढवाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार अहिस्वार, प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज गंगा भोगपुर यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढवाल पर रू0 15000 की शास्ति आरोपित की गयी तथा श्री रमेश सिंह तोमर तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पर रू0 1000 /— की शास्ति आरोपित की गयी	श्री राजेन्द्र कुमार अहिस्वार, प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज गंगा भोगपुर यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढवाल पर रू0 15000 की शास्ति आरोपित की गयी तथा श्री रमेश सिंह तोमर तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी पर रू0 1000 /— की शास्ति आरोपित की गयी	16000	—	—
47	A-39704	29-07-2024	श्री सुनील रावत बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील विकासनगर, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री रिजवान हसन, राजस्व उप निरीक्षक, तहसील विकासनगर, देहरादून	श्री खीम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पर रू0 5250 की शास्ति व श्री रिजवान हसन, राजस्व उप निरीक्षक, तहसील विकासनगर, देहरादून पर रू0 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	15250	—	—
48	C-15307	30-07-2024	श्री अरुण कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, ट्रेफिक रिसर्च झांझरा, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री आशीष शुक्ला संख्युक्त निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, ट्रेफिक रिसर्च झांझरा, देहरादून	श्री आशीष शुक्ला संख्युक्त निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग, ट्रेफिक रिसर्च झांझरा, देहरादून पर रू0 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णित दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
49	A-40145	31-07-2024	श्री राजीव, बनाम लोक सूचना अधिकारी नगर निगम, रुद्रपुर, जिला उधमसिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री हर्ष पाल सिंह, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर रुद्रपुर	श्री हर्ष पाल सिंह, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर रुद्रपुर पर रू0 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	-	-
50	A-39477	01-08-2024	श्री दिनेश चन्द्र उप्रेती बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अल्मोडा समग्र शिक्षा अभियान, अल्मोडा और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री अत्रेश सयाना, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अल्मोडा समग्र शिक्षा अभियान, अल्मोडा	श्री अत्रेश सयाना, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अल्मोडा समग्र शिक्षा अभियान, अल्मोडा पर रू0 13000 की शास्ति आरोपित की गयी	13000	-	-
51	A-39872	01-08-2024	श्री कृष्ण कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी खंड शिक्षाधिकारी यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य, इंटर कालेज बल्ला उदयपुर, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री मनमोहन सिंह प्रधानाचार्य, इंटर कालेज बल्ला उदयपुर, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल,	श्री मनमोहन सिंह प्रधानाचार्य, इंटर कालेज बल्ला उदयपुर, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, पर रू0 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	-	-
52	A-39037	01-08-2024	सुश्री गुडडी देवी, बनाम लोक सूचना अधिकारी खंड शिक्षाधिकारी यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/प्रधानाचार्य,इ0 का0 यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री मनमोहन सिंह प्रधानाचार्य, इंटर कालेज बल्ला उदयपुर, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल,	श्री मनमोहन सिंह प्रधानाचार्य, इंटर कालेज बल्ला उदयपुर, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, पर रू0 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
53	A-40197	01-08-2024	श्री रमेश सिंह कठैत बनाम लोक सूचना अधिकारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री दीपक पुरोहित, तत्कालीन लो.सू.अ. वर्तमान में सहायक निदेशक कार्यालय गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल पर रु० 10,000 की शास्ति आरोपित की गयी।	श्री दीपक पुरोहित, तत्कालीन लो.सू. अ. वर्तमान में सहायक निदेशक कार्यालय अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल पर रु० 10,000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000	-	-
54	A-40070	02-08-2024	श्री जमील बनाम लोक सूचना अधिकारी खनिज मोहर्रि, कार्यालय जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्रीमती गीता चौहान, लोक सूचना अधिकारी/खनिज मोहर्रि, कार्यालय जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, देहरादून, जिला देहरादून पर रु० 25000 की शास्ति आरोपित की गयी।	25000	-	-
55	A-39878	05-08-2024	श्री अरविन्द कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी खंड शिक्षाधिकारी, रुडकी, जिला हरिद्वार/प्रधानाचार्य के.एल.डी.ऐ.वी. इंटर कालेज, रुडकी, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी डीमड लो.सू.अ. प्रधानाचार्य के.एल.डी.ऐ.वी. इंटर कालेज, रुडकी, जिला हरिद्वार	श्री मनोज कुमार सैनी, डीमड लो.सू. अ. प्रधानाचार्य के.एल.डी.ऐ.वी. इंटर कालेज, रुडकी, जिला हरिद्वार पर रु० 25000 की शास्ति आरोपित की गयी।	25000	-	-
56	A-40181	21-08-2024	श्री जे० पी० थपलियाल बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम पौड़ी गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री वीरेन्द्र प्रसाद, अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम पौड़ी गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
57	A-39770	22-08-2024	श्री गंगा प्रसाद निषाद बनाम लोक सूचना अधिकारी स्वास्थ्य अनुभाग नगर निगम, हरिद्वार, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री श्रीकांत, मुख्य सफाई निरीक्षक स्वास्थ्य अनुभाग, नगर निगम हरिद्वार।/ श्री आदित्य, कनिष्ठ सहायक, नगर निगम हरिद्वार।	श्री श्रीकांत, सफाई निरीक्षक स्वास्थ्य अनुभाग, नगर निगम हरिद्वार पर ₹0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी एवं श्री आदित्य, कनिष्ठ सहायक, नगर निगम हरिद्वार पर ₹0 5000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	-	-
58	A-34486	22-08-2024	श्री विवेक कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिशासी अभियंता, /वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी / कर एवं राजस्व अधीक्षक, नगर निगम, हरिद्वार / वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी ,नगर निगम हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार	श्री तरुण मिश्रा, डीमड लोक सूचना अधिकारी / वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, हरिद्वार पर ₹0 25000 की शास्ति आरोपित की गयी	25000	-	-
59	A-40077	28-08-2024	श्री भंवर सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, हरिद्वार, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी डीमड लो.सू. अ./उप राजस्व अधिकारी, कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, हरिद्वार, जिला हरिद्वार	श्रीमती मंजू, अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड, हरिद्वार, जिला हरिद्वार पर ₹0 10000 एवं श्री लोकेश वशिष्ठ, डीमड लो.सू.अ./उप राजस्व अधिकारी, कार्यालय अधिशासी अभियंता, सिचाई खंड हरिद्वार पर ₹0 6000 /- की शास्ति आरोपित की गयी	16000	-	-
60	A-40188	30-08-2024	श्री यज्ञ भूषण शर्मा, बनाम लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड, उपाकालि सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री रोशन लाल रतूडी, लोक सूचना अधिकारी / उपखंड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखंड, उपाकालि सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, पर ₹0 2000 /- की शास्ति आरोपित की गयी	2000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
61	A-40030	02-09-2024	श्री नरेश कुमार तोमर बनाम लोक सूचना अधिकारी वनक्षेत्राधिकारी रीवर रेंज, डाकपत्थर चकराता वन प्रभाग, चकराता, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री अनिल कुमार भट्ट लोक सूचना अधिकारी/वनक्षेत्राधिकारी रीवर रेंज, डाकपत्थर चकराता वन प्रभाग, चकराता, देहरादून, जिला देहरादून पर रु० 25000 / – की शास्ति आरोपित की गयी	25000	–	–
62	A-38725	06-09-2024	श्री संजय ध्यानी बनाम लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, सतपुली जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी तत्कालीन लो.सू.अ.तहसीलदार, सतपुली वर्तमान में तहसीलदार कर्णप्रयाग।	तत्कालीन लो.सू.अ. तहसीलदार सतपुली वर्तमान में तहसीलदार कर्णप्रयाग पर रु० 2000 / – की शास्ति आरोपित की गयी	2000	–	–
63	C-15723	09-09-2024	श्री वेद प्रकाश बनाम लोक सूचना अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्रीमती रजनी रमोला, सुपरवाईजर, चम्बा	श्रीमती रजनी रमोला, सुपरवाईजर, चम्बा पर रु० 7500 / – और श्रीमती बबीता शाह, लोक सूचना अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल पर रु० 15250 / – पर शास्ति आरोपित की जाती है।	22750	–	–
64	A-38249	10-09-2024	श्रीमती परुली देबी बनाम लोक सूचना अधिकारी रा०मा० खण्ड लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, जिला अल्मोड़ा/अधिष्ठान सहायक द्वितीय लोक निर्माण विभाग रा०मा० खण्ड रानीखेत जिला अल्मोड़ा और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री दीपक कुमार जोशी, लोक सूचना अधिकारी/सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग, रानीखेत पर रु० 2000 / – की शास्ति आरोपित की गयी	2000	–	–

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
65	A-40452, 40453	11-09-2024	श्री हरीशंकर पाण्डेय बनाम लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड स्टेट सीड्स एण्ड आर्गेनिक प्रोडक्सन सर्विफिकेशन एंजेंसी, किसान भवन देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री धर्मवीर सिंह, डीमड लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, उत्तराखण्ड स्टेट सीड्स एण्ड आर्गेनिक प्रोडक्सन सर्विफिकेशन एंजेंसी, किसान भवन देहरादून	डॉ० कविता पंडित, लोक सूचना अधिकारी/बीज प्रमाणीकरण सर्विफिकेशन एंजेंसी, तृतीय तल, किसान भवन, मसूरी बाईपास सिंग रोड नेहरूग्राम देहरादून पर रू० 10000 एवं श्री धर्मवीर सिंह, डीमड लोक सूचना अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, उत्तराखण्ड स्टेट सीड्स एण्ड आर्गेनिक प्रोडक्सन सर्विफिकेशन एंजेंसी, किसान भवन देहरादून पर रू० 10000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	20000	-	-
66	A-39465	13-09-2024	श्री मोहन कुमार पाण्डेय बनाम लोक सूचना अधिकारी उप शिक्षाधिकारी, डोईवाला, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्रीमती मंजू भारती, तत्कालीन लो.सू.अ. प्रा.शि. डोईवाला देहरादून वर्तमान में खण्ड शिक्षा अधिकारी, देहरादून वर्तमान में उप निदेशक, मा०शि० निदेशालय ननूरखेडा, देहरादून	श्रीमती मंजू भारती, तत्कालीन लो.सू.अ. प्रा.शि. डोईवाला देहरादून वर्तमान में खण्ड शिक्षा अधिकारी, देहरादून वर्तमान में उप निदेशक, मा०शि० निदेशालय ननूरखेडा, देहरादून पर रू० 10000 की शास्ति आरोपित की गयी।	10000	-	-
67	A-40358	13-09-2024	श्री अनिल कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, सितारगंज, उधम सिंह नगर/(डीमड लोक सूचना अधिकारी)प्रधानाचार्य, गुरु नानक इंटर कालेज नानकमत्ता, जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री तरसेम सिंह, डीमड लो.सू.अ. प्रधानाचार्य, गुरु नानक इंटर कॉलेज नानकमत्ता	श्री तरसेम सिंह, डीमड लो.सू.अ. प्रधानाचार्य, गुरु नानक इंटर कॉलेज नानकमत्ता उधमसिंहनगर पर रू० 5000 की शास्ति आरोपित की गयी।	5000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
68	A-40393	19-09-2024	श्री टी. एस. बिष्ट बनाम लोक सूचना अधिकारी प्रभागीय लौंगिक प्रबंधक उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री अनूप सिंह रौतेला, प्रभागीय लौंगिक प्रबंधक उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून, जिला देहरादून देहरादून पर रू० 25000 की शास्ति आरोपित की गयी।	25000	—	—
69	A-40429	19-09-2024	श्री दिवाकर शाही बनाम लोक सूचना अधिकारी प्रभागीय विक्रय प्रबंधक उत्तराखण्ड वन विकास निगम चन्द्रबनी, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री राजपाल सिंह, लो.सू.अ.प्रभागीय विक्रय प्रबंधक उत्तराखण्ड वन विकास निगम चन्द्रबनी, जिला देहरादून पर रू० 25000 की शास्ति आरोपित की गयी।	25000	—	—
70	C-15680	20-09-2024	श्री पं. गोबिन्द गोपाल कौशिक बनाम लोक सूचना अधिकारी नगर निगम, रुडकी, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी	मौ० कय्युम, लोक सूचना अधिकारी नगर निगम, रुडकी, जिला हरिद्वार पर रू० 10000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	10000	—	—
71	C-15826	20-09-2024	श्री शिव चन्द्र राय बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री संदीप रावत, तत्कालीन लो.सू.अ. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी	श्री रणवीर सिंह, लोक सूचना अधिकारी / जिला विकास प्राधिकरण पौड़ी पर रू० 5000 की व श्री संदीप रावत, तत्कालीन लो.सू.अ. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, पौड़ी पर रू० 5000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	10000	—	—
72	A-40251	23-09-2024	श्री पावस गुप्ता बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खटीमा, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री दीपक शुक्ला लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खटीमा, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर पर रू० 2000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	2000	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
73	A-40252	23-09-2024	श्री पावस गुप्ता बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खटीमा, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री दीपक शुक्ला लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खटीमा, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर पर ₹0 2000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	2000	-	-
74	A-40253	23-09-2024	श्री पावस गुप्ता बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खटीमा, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री दीपक शुक्ला लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खटीमा, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर पर ₹0 2000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	2000	-	-
75	A-40335	23-09-2024	श्री दिनेश चन्द्र नवानी बनाम लोक सूचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री मनीभूषण, तत्कालीन लो.सू.अ. वर्तमान में प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली श्रीनगर पौड़ी।	श्री मनीभूषण, तत्कालीन लो.सू.अ. वर्तमान में प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली श्रीनगर पौड़ी पर ₹0 5000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	5000	-	-
76	A-40325	25-09-2024	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद बमराड़ा, बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षाधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री कुन्दन लाल टम्टा, लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षाधिकारी, (माध्यमिक शिक्षा), जिला पौड़ी गढ़वाल पर ₹0 1000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	1000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
77	A-40308	30-09-2024	श्री रामेश्वर प्रसाद बनाम लोक सूचना अधिकारी बाल विकास परियोजनाधिकारी, बहादुराबाद प्रथम, हरिद्वार, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्रीमती प्रीति भण्डारी, लोक सूचना अधिकारी बाल विकास परियोजनाधिकारी, बहादुराबाद प्रथम, हरिद्वार, जिला हरिद्वार पर रू0 10000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	10000	-	-
78	A-40332	01-10-2024	श्री जगमोहन सिंह कफोला बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री अमन अनिरुद्ध, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर पर रू0 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	-	-
79	A-40333	01-10-2024	श्री जगमोहन सिंह कफोला बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री अमन अनिरुद्ध, जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर, जिला उधम सिंह नगर पर रू0 10000 की शास्ति आरोपित की गयी	10000	-	-
80	C-15841	07-10-2024	श्री ओ.पी.सिंहल बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री सचिन शर्मा, लोकसूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल पर रू0 25000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	25000	-	-
81	A-40402	11-10-2024	श्री कुन्दन सिंह रावत बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री टी.आर.मलेठा, लोक सूचना अधिकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार जिला हरिद्वार पर रू0 5000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	5000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
82	C-15758	11-10-2024	श्री सन्दीप कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी	डॉ० सरिष चन्द्रवंशी लो.सू.अ. गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल पर रु० 25000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	25000	-	-
83	C-15707	15-10-2024	श्री हिमांशु सरिन बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल, चम्बा टिहरी और विभागीय अपीलीय अधिकारी डॉ०बी.एल.आर्या, डीम्ड लो.सू.अ.श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल, चम्बा टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी	श्री हेमन्त बिष्ट, लोक सूचना अधिकारी श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल, चम्बा टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी पर रु० 12500 एवं डॉ०बी.एल.आर्या, डीम्ड लो.सू.अ.श्री देव सुमन विश्वविद्यालय बादशाही थौल, चम्बा टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी पर रु० 12500 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	25000	-	-
84	A40443	18-10-2024	श्रीमती रीनू अग्रवाल, बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील रुडकी/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री मनोज कुमार पाण्डे, रजिस्ट्रार कानूनगो, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार	श्री मनोज कुमार पाण्डे, रजिस्ट्रार कानूनगो, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी, तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार पर रु० 5000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	5000	-	-
85	A-40442	18-10-2024	श्री मांगेराम बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील रुडकी/डीम्ड लोक सूचना अधिकारी/राजस्व उदलहेड़ी, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्रीमती ममता निराला, डीम्ड लो.सू.अ. राजस्व उप निरीक्षक उदलहेड़ी हरिद्वार।	श्रीमती ममता निराला, डीम्ड लो.सू.अ. राजस्व उप निरीक्षक उदलहेड़ी हरिद्वार पर रु० 10000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	10000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णित दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
86	A-39691	18-10-2024	श्री मनोरथ प्रसाद नवानी बनाम लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चौबट्टाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री अनिल कुमार, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चौबट्टाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री अनिल कुमार, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चौबट्टाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल पर रु० 10000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	10000	—	—
87	A-39917	18-10-2024	श्री मनोरथ प्रसाद नवानी बनाम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी	इं० संसार सिंह, लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी, जिला पौड़ी गढ़वाल पर रु० 5000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	5000	—	—
88	A-40074	21-10-2024	श्री गिरवर सिंह प्रधान बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान पंत द्वीप, हरिद्वार, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी / श्री मदन सैन अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड जल संस्थान पंत द्वीप, हरिद्वार, जिला हरिद्वार पर रु० 25000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	25000	—	—
89	A-40513	22-10-2024	श्री बीर सिंह रावत बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री चमन सिंह चौहान, लो.सू.अ. जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी, देहरादून पर श्री मनोज कापड़ी जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी पर रु० 12500-12500 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	25000	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
90	A-40476	23-10-2024	श्री सोमपाल सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितिया उत्तराखण्ड हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितिया उत्तराखण्ड हरिद्वार पर ₹0 2000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	2000	-	-
91	A-40495	29-10-2024	श्री अमित सेमवाल, बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी लोक प्राधिकारी/आयुक्त परिवहन, कुल्हान, सहरादून	लोक प्राधिकारी/आयुक्त परिवहन, कुल्हान, सहराद्वारा रोड, देहरादून द्वारा अपीलकर्ता को कुल ₹0 5000 की क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।	5000	-	-
92	C-15883	29-10-2024	श्री अरविन्द सिंह रावत बनाम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्रीमती बीना सेमवाल, तत्कालीन लो.सू.अ./प्रधान सहायक, कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल जिला टिहरी गढ़वाल	श्रीमती बीना सेमवाल, तत्कालीन लो.सू.अ./प्रधान सहायक, कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल जिला टिहरी गढ़वाल पर ₹0 10000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	10000	-	-
93	A-40071	05-11-2024	श्री रोहिताश शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 हरिद्वार/प्रबंधक (एच.आर.) सिडकुल देहरादून, जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री गिरधर सिंह रावत, लो.सू.अ. क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 हरिद्वार/प्रबंधक (एच.आर.) सिडकुल देहरादून, जिला देहरादून पर ₹0 10000 की शास्ति अधिरोपित की गयी।	10000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
94	A-40328	05-11-2024	श्री जी०पी० जिज्ञासु बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र उपाध्याय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि., पिथौरागढ़, जिला शिक्षा अपीलीय अधिकारी श्री हवलदार प्रसाद, वर्तमान में खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर, जिला नैनीताल	श्री हवलदार प्रसाद, जिला पिथौरागढ़ पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गई तथा श्री दिनेश चन्द्र उपाध्याय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि., पिथौरागढ़ पर रु० 2000 की शास्ति आरोपित की गई।	12000	—	—
95	A-40327	05-11-2024	श्री जी०पी० जिज्ञासु बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री दिनेश चन्द्र उपाध्याय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि., पिथौरागढ़, जिला शिक्षा अपीलीय अधिकारी श्री हवलदार प्रसाद, वर्तमान में खण्ड शिक्षा अधिकारी, रामनगर, जिला नैनीताल	श्री हवलदार प्रसाद, जिला पिथौरागढ़ पर रु० 5000 की शास्ति आरोपित की गई तथा श्री दिनेश चन्द्र उपाध्याय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मा.शि., पिथौरागढ़ पर रु० 1000 की शास्ति आरोपित की गई।	6000	—	—
96	A-40618	06-11-2024	श्री नारायण सिंह राणा बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री रणवीर सिंह, सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री रणवीर सिंह, सहायक अभियन्ता, जिला विकास प्राधिकरण, पौड़ी पर रु० 25000 की शास्ति आरोपित की गई।	25000	—	—
97	A-40614	08-11-2024	श्री लोहित कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी श्रीमती मंजु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हरिद्वार, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्रीमती मंजु, अधिशासी अभियन्ता पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गई।	10000	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
98	C-15836	20-11-2024	श्री वीरेन्द्र सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री वीर सिंह, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र नारसन कलां तहसील रुड़की	श्री मनोज श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसील रुड़की जिला हरिद्वार पर रु० 1000 तथा श्री वीर सिंह, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र नारसन कलां तहसील रुड़की पर रु० 2000 की शास्ति आरोपित की गई।	3000	—	—
99	C-15906	28-11-2024	श्री बनवारी लाल बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री सचिन कुमार, कार्यालय तहसीलदार, तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल / डीम्ड लोक सूचना अधिकारी पर रु० 10000 तथा श्री भगवन्त सिंह बिष्ट, रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गई।	श्री सचिन कुमार, कार्यालय तहसीलदार, तहसील हल्द्वानी जिला नैनीताल / डीम्ड लोक सूचना अधिकारी पर रु० 10000 तथा श्री भगवन्त सिंह बिष्ट, रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गई।	20000	—	—
100	A-40414	28-11-2024	श्री अटल विहारी बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री सुरेश लाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसील धनौली जिला टिहरी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री सेवक राम शर्मा, राजस्व उप निरीक्षक, थत्पूड़ तहसील धनौली, जिला टिहरी गढ़वाल	श्री सुरेश लाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, तहसील धनौली जिला टिहरी गढ़वाल पर रु० 5000 तथा श्री सेवक राम शर्मा, राजस्व उप निरीक्षक, थत्पूड़ तहसील धनौली, जिला टिहरी गढ़वाल पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गई।	15000	—	—
101	A-39121	29-11-2024	श्री रोहित गोयल बनाम लोक सूचना अधिकारी जिज्ञासा यूनियर्सिटी (हिमगिरी जी यूनियर्सिटी), पोस्ट-शेरपुर, चकराता रोड, देहरादून, 248197 और विभागीय अपीलीय अधिकारी	डॉ० अम्पु हरिकृष्णनन, रजिस्ट्रार, हिमगिरी जी यूनियर्सिटी (जिज्ञासा यूनियर्सिटी) देहरादून पर रु० 25000 की शास्ति आरोपित की गई।	25000	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
102	A-40022, 38764, 38765	29-11-2024	डॉ० बसंत कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी हिमगिरी जी यूनियर्सिटी, पोस्ट- शेरपुर, चकराता रोड, देहरादून, 248197 और विभागीय अपीलीय अधिकारी	हिमगिरी जी यूनियर्सिटी पर रु० 5000 की शास्ति आरोपित की गई।	5000	-	-
103	A-39519, 38762, 38764	29-11-2024	श्री रजनीश तिवारी बनाम लोक सूचना अधिकारी हिमगिरी जी यूनियर्सिटी, पोस्ट- शेरपुर, चकराता रोड, देहरादून, 248197 और विभागीय अपीलीय अधिकारी	हिमगिरी जी यूनियर्सिटी पर रु० 5000 की शास्ति आरोपित की गई।	5000	-	-
104	A-40837	12-12-2024	श्री मनीष बावा बनाम लोक सूचना अधिकारी उप शिक्षा अधिकारी, रुद्रपुर उधमसिंहनगर और विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर, जिला उधमसिंहनगर	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी / श्री दिनेश नारायण शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वर्तमान में जी०जी०आई०सी० कालेज, हल्द्वानी, जिला नैनीताल पर रु० 5000 की शास्ति आरोपित की गई।	5000	-	-
105	A-40843	12-12-2024	श्री सचिन शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी पर्यावरण अभियन्ता, मुख्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड "गौरा देवी पर्यावरण भवन" 56, बी, आई.टी.पार्क, सहस्त्रधारा रोड देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, जिला देहरादून	श्री अनुराग नेगी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी, वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, नैनीताल में तैनात पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गई।	10000	-	-
106	A-38413	13-12-2024	श्री वी.के.अग्रवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी सहायक अभियन्ता, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी / सहायक अभियन्ता श्री टी०पी० नौटियाल हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गई।	10000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
107	C-15848	16-12-2024	डॉ० ललित मोहन पन्त बनाम लोक सूचना अधिकारी पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़ जिला पिथौरागढ़ और विभागीय अपीलीय अधिकारी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, जिला पिथौरागढ़	श्री राजेश यादव, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली, पिथौरागढ़, वर्तमान में प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली हल्द्वानी, जिला नैनीताल में तैनात, पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गई।	10000	—	—
108	C-15882	17-12-2024	सुश्री रीता सूरि बनाम लोक सूचना अधिकारी उप जिलाधिकारी, सदर जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी राजस्व निरीक्षक, केन्द्र तहसील सदर, जिला देहरादून	राजस्व निरीक्षक, केन्द्र तहसील सदर जिला देहरादून श्री प्रकाशवीर पर रु० 25000 की शास्ति आरोपित की गई।	25000	—	—
109	A-40819	18-12-2024	श्री सतीश कुमार आर्य बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री अमरदीप, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिकंदरपुर भैंसवाल, विकासखण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी सुश्री नन्दा मेहरा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिकंदरपुर भैंसवाल, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार	सुश्री नन्दा मेहरा ग्राम विकास अधिकारी पर रु० 250 तथा श्री अमरदीप ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर रु० 5000 की शास्ति आरोपित की गई।	5250	—	—
110	A-40818	18-12-2024	श्री सतीश कुमार आर्य बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री मनोज कुमार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी सुश्री नन्दा मेहरा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रायपुर, विकास खण्ड भगवानपुर, जिला हरिद्वार	श्री मनोज कुमार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर रु० 500 तथा सुश्री नन्दा मेहरा ग्राम विकास अधिकारी पर रु० 250 की शास्ति आरोपित की गई।	750	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
111	A-40369	18-12-2024	श्री इस्तखार बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री मेराज अहमद, उप शिक्षा अधिकारी(प्र०शि०) नारसन, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री जगप्रीत सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी (प्र०शि०) बहादुराबाद जिला हरिद्वार / प्रधानाध्यापक / प्रबंधक, मदरसा इस्लामिया मिस्वाह-उल इस्लाम, ग्राम बुक्कनपुर, जिला हरिद्वार	श्री मेराज अहमद, लोक सूचना अधिकारी / उप शिक्षा अधिकारी, नारसन, जिला हरिद्वार पर रु. 20000 की शास्ति आरोपित की गयी	20000	-	-
112	A-41064	20-12-2024	श्री संजय ध्यानी बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री अतर सिंह चौहान, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी / राजस्व निरीक्षक तहसील कोटद्वार	श्री अतर सिंह चौहान, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी / राजस्व निरीक्षक तहसील कोटद्वार पर रु० 25000 की शास्ति आरोपित की गई।	25000	-	-
113	A-40185	20-12-2024	श्री इन्द्रराम बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम डीडिहाट, पिथौरागढ़ और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री संजय कुमार, लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा	श्री संजय कुमार, लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम डीडिहाट, पिथौरागढ़ पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गई।	10000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
114	A-40427	27-12-2024	श्री संजय ध्यानी बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री जमुना प्रसाद भट्ट, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैसडौन वन प्रभाग कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल	श्री जमुना प्रसाद भट्ट लोक सूचना अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त देहरादून पर रु0 5000 की शास्ति आरोपित की गई।	5000	-	-
115	A-40982	30-12-2024	श्री लखन लाल चौहान बनाम लोक सूचना अधिकारी नगर निगम हरिद्वार/डीमड लोक सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य अनुभाग नगर निगम,हरिद्वार/डीमड लोक सूचना अधिकारी/निर्माण अनुभाग नगर निगम हरिद्वार, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री विकास कुमार, पटल सहायक, नगर निगम हरिद्वार, जिला हरिद्वार	श्री विकास कुमार, समतुल्य लोक सूचना अधिकारी/कनिष्ठ सहायक, नगर निगम, हरिद्वार पर रु0 25000 की शास्ति आरोपित की गई।	25000	-	-
116	A-40817	02-01-2025	श्री सतीश कुमार आर्य बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तेलपुरा, विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा खण्ड विकास अधिकारी विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री अनित चौहान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत तेलपुरा, विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा खण्ड विकास अधिकारी विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार	श्री अनित चौहान लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर रु0 5000 की शास्ति आरोपित की गई।	5000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
117	A-40815	02-01-2025	श्री सतीश कुमार आर्य बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री योगेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कालेवाला, उर्फ मुकर्रमपुर, विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा खण्ड विकास अधिकारी विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री अनित चौहान, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कालेवाला, उर्फ मुकर्रमपुर, विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार	श्री अनित चौहान लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर रु० 5000 तथा श्री योगेश कुमार लोक सूचना अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी पर रु० 5000 की शास्ति आरोपित की गई।	10000	-	-
118	A-40820	02-01-2025	श्री सतीश कुमार आर्य बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हसनवाला, विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा खण्ड विकास अधिकारी विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री अनित चौहान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत हसनवाला, विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार	श्री अनित चौहान लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर रु० 5000 की शास्ति आरोपित की गई।	5000	-	-
119	A-40816	02-01-2025	श्री सतीश कुमार आर्य बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री योगेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अलावलपुर, विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार द्वारा खण्ड विकास अधिकारी विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री अनित चौहान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अलावलपुर, विकासखण्ड भगवानपुर जिला हरिद्वार	श्री अनित चौहान लोक सूचना अधिकारी/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर रु० 5000 तथा श्री योगेश कुमार लोक सूचना अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी पर रु० 5000 की शास्ति आरोपित की गई।	10000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णित दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
120	A-41029	10-01-2025	श्री जयपाल सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट, देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्रीमती किरन रानी, कार्यालय सहायक (आन्दोलनकारी)/ समतुल्य लोक सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट देहरादून द्वारा लोक सूचना अधिकारी/ श्री राजेश कपिल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्ट्रेट, देहरादून	श्रीमती किरन रानी, कार्यालय सहायक (आन्दोलनकारी)/ समतुल्य लोक सूचना अधिकारी, कलेक्ट्रेट देहरादून पर रु० 1000 की शास्ति आरोपित की गई।	1000	-	-
121	A-40686	17-01-2025	श्री रमेश सिंह कठैत बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री भगवान दास, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार जिला-पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी	श्री भगवान दास, लोक सूचना अधिकारी/ कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल पर रु० 25000 की शास्ति आरोपित की गई।	25000	-	-
122	A-41158	04-02-2025	श्रीमती हेमा कनवाल बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री गुलजार हुसैन, वनक्षेत्राधिकारी बूम रेंज, सूखीढांग चंपावत, जिला चंपावत और विभागीय अपीलीय अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी श्री गुलजार हुसैन, वनक्षेत्राधिकारी बूम रेंज, सूखीढांग चंपावत, जिला चंपावत पर रु० 15500 की शास्ति आरोपित की गई।	15500	-	-
123	A-41189	18-02-2025	नवीन कुमार कोठियाल बनाम लोक सूचना अधिकारी उप मुख्य परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उरेडा औद्योगिक क्षेत्र पटेलनगर देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/ श्री युद्धवीर सिंह बिष्ट, उप मुख्य परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उरेडा औद्योगिक क्षेत्र पटेलनगर देहरादून तथा निदेशक उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उरेडा औद्योगिक क्षेत्र पटेलनगर देहरादून	तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/ श्री युद्धवीर सिंह बिष्ट, उप मुख्य परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, उरेडा औद्योगिक क्षेत्र पटेलनगर देहरादून पर रु० 5000 की शास्ति आरोपित की गई।	5000	-	-

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
124	C-16090	19-02-2025	श्री फरमान आलम अब्बासी बनाम लोक सूचना अधिकारी श्री टी.आर.मलेठा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी श्री टी.आर. मलेठा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार, जिला हरिद्वार पर रु० 15000 की शास्ति आरोपित की गई।	15000	—	—
125	A-41171	21-02-2025	श्री रतनमणी डोमाल बनाम लोक सूचना अधिकारी अधिशासी अभियंता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार, जिला हरिद्वार और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्रीमती मंजू अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार	डीम्ड लोक सूचना अधिकारी श्री विजय सिंह सहायक अभियन्ता-तृतीय, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गई।	10000	—	—
126	C-16088	21-02-2025	श्री मनोरथ प्रसाद नवानी बनाम लोक सूचना अधिकारी कार्यालय तहसीलदार, तहसील चौबट्टाखाल, पौड़ी गढ़वाल और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री शिवदत्त नौटियाल, किमगडीगाड-2 राजस्व उपनिरीक्षक।	लोक सूचना अधिकारी श्री शिवदत्त नौटियाल, किमगडीगाड पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गई।	10000	—	—
127	A-40868	25-02-2025	श्री अरुण कुमार गुप्ता बनाम लोक सूचना अधिकारी श्रीमती राधा नेगी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तहसील सदर जिला देहरादून और विभागीय अपीलीय अधिकारी श्री राहुल देव, राजस्व निरीक्षक, तहसील सदर, जिला देहरादून	लोक सूचना अधिकारी श्री राहुल देव, राजस्व निरीक्षक, तहसील सदर, जिला देहरादून पर रु० 10000 की शास्ति आरोपित की गई।	10000	—	—

क्रम सं०	अपील(A)/ शिकायत संख्या (C)	निर्णीत दिनांक	अपीलकर्ता एवं प्रतिवादियों के विवरण	आदेश का संक्षिप्त विवरण	शास्ति	क्षतिपूर्ति	विभागीय कार्यवाही
128	C-15846	03-12-2024	श्री कौशल चौहान बनाम लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम उत्तरकाशी जिला उत्तरकाशी व अन्य।	श्री मधु कान्त कोटियाल, लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम जन निगम कॉलोनी गोफियारा पर रू० 10000 की शास्ति अधिरोपित की जाती है।	10000	-	-
129	A-41116	14-02-2025	श्री इन्द्रेण बड़वाल बनाम लोक सूचना अधिकारी / अधिशासी अभियंता (अनाधिकृत निर्माण / मानचित्र अनुभाग) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्टनगर सहारनपुर रोड, देहरादून व अन्य।	श्री सहायक लोक सूचना अधिकारी श्री सचिन तोमर अवर अभियंता मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पर रू० 5000 की शास्ति अधिरोपित की जाती है।	5000	-	-
130	A-40640	19-02-2025	श्रीमती गीता सिराड़ी बनाम लोक सूचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक, हल्द्वानी जिला नैनीताल व अन्य।	लोक सूचना अधिकारी श्री उमेश कुमार मलिक प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी व श्री राजेश कुमार यादव लोक सूचना अधिकारी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी पर रू० 5000-5000 की शास्ति अधिरोपित की जाती है।	10000	-	-
131	A-41204	17-02-2025	श्री सूबेदार विशनलाल बनाम लोक सूचना अधिकारी / राजस्व उप निरीक्षक पट्टी मोटाढाक तहसील कोटद्वार जिला पौड़ गढ़वाल व अन्य।	श्रीमती सीता राजस्व उप निरीक्षक पट्टी सनेद तहसील कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल पर रू० 5000 की शास्ति अधिरोपित की जाती है।	5000	-	-



सूचना का
अधिकार



आयोग को प्राप्त बजट



सूचना का
अधिकार

Budget Manual - 08 For The Month Of - [Mar-2025]
(See Paragraphs 107)

Monthly Expenditure Statement to Administrative Department by Controlling Officer / Head Of The Department

Filters: Treasury - All DDO - All

अनुदान संख्या-006 - राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ

00--

800-अन्य व्यय

13-सूचना आयोग की स्थापना

00-सूचना आयोग की स्थापना

2070008001300

मानक मद	आवंटित धनराशि (एच. ओ. डी.)	आवंटित धनराशि (डी. डी. ओ)	वर्तमान माह का व्यय	वर्तमान माह तक का व्यय	प्रतिशत व्यय	शेष	टिप्पणी
01-वेतन	1,33,25,640	1,33,25,640	9,57,443	1,33,25,640	100%	-	
02-मजदूरी	-	-	-	-	0%	-	
03-महंगाई भत्ता	73,31,125	73,31,125	5,07,445	70,09,757	95.62%	3,21,368	
04-यात्रा व्यय	4,37,216	4,37,216	34,450	4,37,216	100%	-	
06-अन्य भत्ते	19,80,000	19,80,000	1,52,824	23,01,368	116.23%	-3,21,368	
07-मानदेय	-	-	-	-	0%	-	
08- पारिश्रमिक	1,38,02,323	1,38,02,323	11,48,551	1,38,02,323	100%	-	
09- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1,29,143	1,29,143	2,829	1,29,143	100%	-	
10- प्रशिक्षण व्यय	2,55,211	2,55,211	2,30,729	2,55,211	100%	-	
11- अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	14,82,000	14,82,000	1,14,000	14,82,000	100%	-	
20-लेखन सामग्री एवं छपाई	3,06,022	3,06,022	42,000	3,06,022	100%	-	
21- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,74,197	4,74,197	2,26,000	4,74,197	100%	-	
22- कार्यालय व्यय	12,75,756	12,75,756	80,738	12,75,756	100%	-	

23- किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	-	-	-	-	0%	-	
24- विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	29,068	29,068	9,710	29,068	100%	-	
25- उपयोगिता बिलों का भुगतान	5,89,994	5,89,994	41,965	5,89,994	100%	-	
26- कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	1,53,950	1,53,950	-	1,53,950	100%	-	
27- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	21,84,187	21,84,187	1,11,640	21,84,187	100%	-	
29-गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	27,89,258	27,89,258	1,73,159	27,89,258	100%	-	
30- आतिथ्य व्यय	49,958	49,958	8,023	49,958	100%	-	
40-मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	-	-	-	-	0%	-	
42-अन्य विभागीय व्यय	2,00,000	2,00,000	-	2,00,000	100%	-	
51- अनुरक्षण	3,15,136	3,15,136	84,204	3,15,136	100%	-	
कुल योग	4,71,10,184	4,71,10,184	39,25,710	4,71,10,184		-	

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची वर्ष 2024-25

क्र.सं.	नाम	एवं पदनाम
1	श्री अनिल चन्द पुनेठा	मुख्य सूचना आयुक्त
2	श्री विवेक शर्मा	राज्य सूचना आयुक्त
3	श्री विपिन चन्द्र	राज्य सूचना आयुक्त
4	श्री अर्जुन सिंह	राज्य सूचना आयुक्त
5	श्री योगेश भट्ट	राज्य सूचना आयुक्त
6	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय	सचिव (11/12/2024 तक)
7	श्री रज़ा अब्बास	सचिव (11/12/2024 से)
8	श्रीमती युक्ता मिश्रा	उप सचिव
9	श्री राजेश नैथानी	निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त
10	श्री एस.के. गुप्ता	विधि सलाहकार
11	श्री चन्द्र शेखर जोशी	सहायक लेखाधिकारी
12	श्रीमती हीरा रावत	अनु सचिव
13	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै	समीक्षा अधिकारी
14	श्री उमेश चन्द्र सिंह	समीक्षा अधिकारी
15	श्री सौरभ कुमार	समीक्षा अधिकारी
16	श्री महेश आर्य	लेखाकार
17	श्री अनिल कुमार	सहायक लेखाकार
18	श्री कादिर अली	सहायक समीक्षा अधिकारी (06/02/2025 से)
19	श्री ललित मोहन	सहायक समीक्षा अधिकारी (10/02/2025 से)
20	श्री राजू आर्य	सहायक समीक्षा अधिकारी (07/02/2025 से)
21	श्री जितेन्द्र पाण्डे,	निजी सचिव
22	श्री नरेश चन्द्र बिजलवाण	निजी सचिव
23	श्रीमती चन्द्रा गुसाईं	आशुलिपिक
24	श्रीमती सुब्रोतिका जोशी	आशुलिपिक
25	श्रीमती अनुराधा	आशुलिपिक
26	कु. रेशमा फर्स्वाण	आशुलिपिक
27	श्री सुमन सिंह रावत	आशुलिपिक
28	श्री पंकज कुमार	आशुलिपिक
29	श्रीमती रेखा रिल्कोटिया	आशुलिपिक
30	श्री शैलेन्द्र हटवाल	निजी सचिव

क्र.सं.	नाम	एवं पदनाम
31	श्रीमती अमृता गुरुंग	वैयक्तिक सहायक
32	श्रीमती रजनी देवी	कम्प्यूटर आपरेटर
33	श्री नरेन्द्र सिंह गनघरिया	कम्प्यूटर आपरेटर
34	श्री मनोज सिंह	कम्प्यूटर ऑपरेटर
35	श्री पंकज कुमार	कम्प्यूटर ऑपरेटर
36	श्रीमती ममता पंचपाल	कम्प्यूटर ऑपरेटर
37	श्री प्रदीप सिंह,	सुरक्षा गार्ड (03/07/2024 तक)
38	श्री सर्वेश्वर दत्त,	सुरक्षा गार्ड
39	श्री दरबान सिंह	सुरक्षा गार्ड
40	श्री चन्द्रपाल सिंह	सुरक्षा गार्ड (18/07/2024 से)
41	श्री सोहन सिंह	सुरक्षा गार्ड
42	श्री फकीर सिंह,	अनुसेवक
43	श्री मनोज कुमार,	अनुसेवक
44	श्री चंचल राम,	अनुसेवक
45	श्री सुरेन्द्र पाल,	अनुसेवक
46	श्री नंदन सिंह खोलिया,	अनुसेवक
47	श्री हरपाल सिंह,	अनुसेवक
48	श्री त्रिलोक सिंह,	अनुसेवक
49	श्री प्रदीप रावत,	अनुसेवक
50	श्री गौरव बडोनी,	अनुसेवक
51	श्री प्रकाश सिंह,	अनुसेवक
52	श्री अमित बडोनी,	अनुसेवक
53	श्री प्रदीप खत्री,	अनुसेवक
54	श्री नागेन्द्र भट्ट,	वाहन चालक
55	श्री धारा सिंह,	वाहन चालक
56	श्री बृजमोहन सिंह,	वाहन चालक
57	श्री नन्दू सिंह,	वाहन चालक
58	श्री अमित कुमार,	वाहन चालक
59	श्री अमर ठाकुर,	वाहन चालक
60	श्री रविन्द्र सिंह,	वाहन चालक

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की पीठ का हाइब्रिड सुनवाई का क्यूआर लिंक

Court 1- CIC Bench

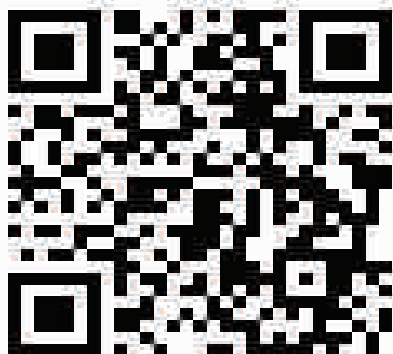
(मुख्य सूचना आयुक्त)

कोर्ट के स्टाफ का मो०न० 9410700474



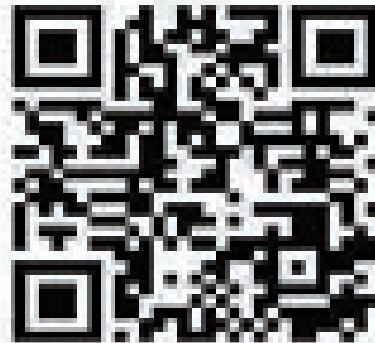
Court - 2

कोर्ट के स्टाफ का मो०न० 9410700471



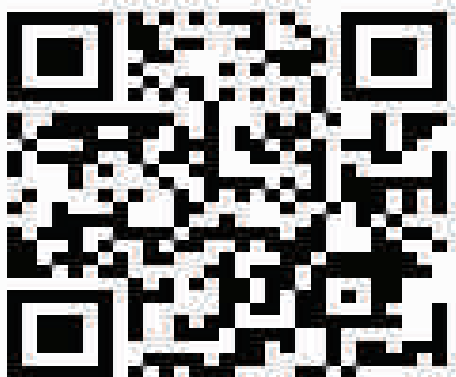
Court - 3

कोर्ट के स्टाफ का मो०न० 9410700343



Court - 4

कोर्ट के स्टाफ का मो०न० 9410700544



Court - 5

कोर्ट के स्टाफ का मो०न० 9410700352



उत्तराखण्ड सूचना आयोग का पता व सम्पर्क हेतु दूरभाष, ई-मेल, फोन नम्बर

उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
आरटीआई भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड,
लाडपुर, देहरादून 248008

Uttarakhand Information Commission,
RTI Bhawan, Mussoorie Bypass Ring Road,
Ladpur, Dehradun 248008,

Phone 1: +91 135 2662021

Phone 2: +91 135 2662180

Phone 3: +91 9410700312

Email: secy-uic@gov.in

website <https://uic.uk.in>

आयोग की वेबसाइट का
क्यूआर कोड

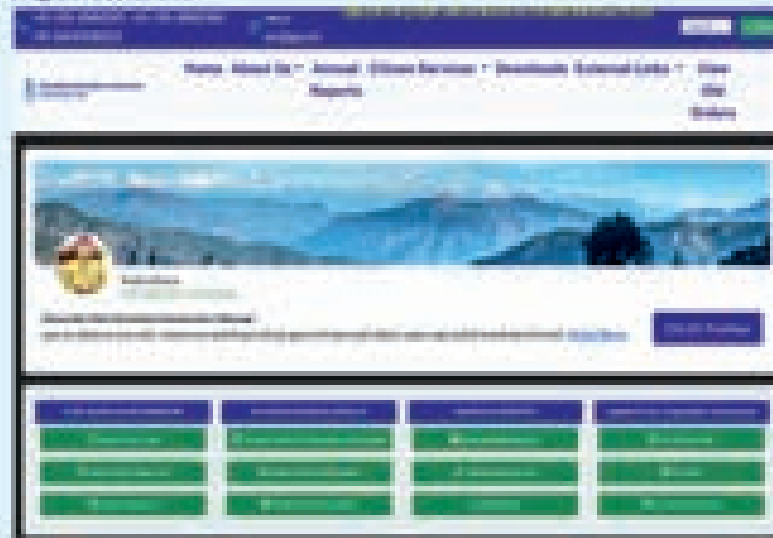


आरटीआई0 ऑनलाइन पोर्टल की वेबसाइट
का क्यूआर कोड





<https://info.ukh.in/>



<https://online.ukh.gov.in/>



उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सुखन का अधिकार भवन, पि. टी. लखनपुर, देहरादून

दूरभाष : 0135 - 2662021, 2662180, ईमेल : ukh@ukh.gov.in, info@ukh.gov.in